अध्याय दो

अनुसूची 0.0 : परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों की सूची

2.0.0 परिचय : अनुसूची 0.0, प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई (या बड़ी प्र.च.इ. के मामले में अंश 1 और 2) में रहने वाले सभी परिवारों और बिना किसी स्थायी परिसर वाले उद्यमों सहित सभी गैर कृषि उद्यम, जो सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान कम से कम एक दिन प्रचालित हुए, के सूचीकरण के लिए है । कुछ उद्यम विवरण, जैसे कार्यकलाप का ब्यौरा, किराये के तथा कुल कर्मचारियों की संख्या, रा.औ.व. (NIC) संकेतांक, प्रचालन की अवधि आदि भी ''पात्रता संकेतांक'' में एकत्र किये जाने हैं । इन सहायक सूचनाओं का उपयोग उद्यमों को विभिन्न उद्यम प्ररूपों तथा विभिन्न उद्यम समूहों में समूहीकृत करने के लिए द्वितीय चरण स्तरों के गठन हेतु किया जायेगा । प्रत्येक द्वितीय-चरण स्तर/प्रमुख विनिर्माण समूह के लिए उद्यमों के चयन हेतु प्रतिचयन ढांचे बनाये जायेंगे और प्रतिदर्श उद्यमों के चयन के ब्यौरे इस अनुसूची में दर्ज किये जायेंगे । जहां कहीं खेड़ा समूह/उप-खंडों के गठन की आवश्यकता पड़ेगी, खेड़ा समूहों/उप-खंडों के गठन और चयन से संबंधित विवरण भी इस अनुसूची में दर्ज किये जायेंगे । विभिन्न मदों की संकल्पनायें और परिभाषायें अध्याय एक में दी गई हैं ।

2.0.1 अनुसूची की संरचना : अनुसूची 0.0 में निम्नलिखित खण्ड शामिल हैं :

खण्ड 0	:	प्रतिदर्श ग्राम/खण्ड की विवरणात्मक पहचान
खण्ड 1	:	प्रतिदर्श ग्राम/खण्ड की पहचान
खण्ड 2	:	खेड़ा-समूह(खे.स)/उप-खण्ड(उ.ख) के गठन का मानचित्र
खण्ड 3.1	:	खेड़ों की सूची (खेड़ा समूह (खे.स.) गठन वाले केवल ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए)
खण्ड 3.2	:	खेड़ा समूहों(खे.स)/उप-खण्डों(उ.ख) का चयन और सूची
खण्ड 4	:	प्रतिदर्श ग्राम/न.ढां.स. खंड में 20 या उससे अधिक कर्मियों वाले गैर-कृषि उद्यमों की सूची (अंश 9)
खण्ड 5ए	:	गैर-कृषि उद्यमों की सूची (अंश 1/2)
खण्ड 5बी	:	सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत उद्यमों के चयन की सूची (अंश 1/2)
खण्ड 6ए	:	अंश 9 में उद्यमों के विवरण
खण्ड 6बी	:	उद्यमों के प्रतिचयन के विवरण (अंश 1 और 2 के लिए)
खण्ड 7	:	निकटतन सुविधा से ग्राम की दूरी, कुछ सुख-साधन की उपलब्धता और नरेगा कार्य में अंश ग्रहण(केवल निवासी ग्रामों के लिए)
खण्ड 8	:	क्षेत्र संकार्य के विवरण
खण्ड 9	:	अन्वेषक/वरिष्ठ अन्वेषक की अभ्युक्तियां
खण्ड 10	:	पर्यवेक्षी अधिकारियों की टिप्पणियां

2.0.2 सर्वेक्षण और प्रतिदर्श ढाँचे की इकाई :

ग्रामीण क्षेत्र में, प्रथम चरण इकाई (प्र.च.इ.), जनगणना 2001 के अनुसार ग्राम (केरल के लिए पंचायत वार्ड) है ।

नगरीय क्षेत्र में, तीन प्रकार के ढांचे का प्रयोग किया जाएगा :

(i) जनगणना 2001 के अनुसार 1 मिलियन या उससे अधिक जनसंख्या वाले 26 महानगरों (मुम्बई को छोड़कर) के लिए, आर्थिक गणना-2005 के अनुसार नगरीय खंडों की सूची का उपयोग ढांचे के रूप में किया जायेगा एवं प्रत्येक खंड एक प्र.च.इ. होगा ।

(ii) अन्य शहरों और नगरों (मुम्बई सहित) के लिए, नगरीय ढांचा सर्वेक्षण (न.ढां.स.) 2002-07 चरण (Phase) या यदि यह उपलब्ध न हो तो 2002-07 से पूर्व का नवीनतम उपलब्ध चरण का प्रयोग ढांचे के रूप में किया जायेगा ।

''ढांचा संकेतांक'' शीर्ष के अंतर्गत प्रतिदर्श सूची में यह दर्शाया गया है कि एक शहर के प्र.च.इ.(यों) के चयन हेतु प्रतिचयन ढांचा के रुप में किस न.ढां.स. चरण का उपयोग किया गया है । अन्वेषक एक प्रतिदर्श प्र.च.इ. में पहुँचने के बाद प्रतिदर्श सूची में इंगित ढांचा संकेतांक के ब्यौरे अनुसार इसकी सीमाओं को सुनिश्चित करेगा । ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पदाधिकारियों, जैसे पटवारी, पंचायत प्राधिकारी आदि की सहायता से और नगरीय क्षेत्रों में न.ढां.स. मानचित्र/वार्ड मानचित्र/नगर मानचित्र की सहायता से किया जा सकता है । यदि चयित ग्राम दो या अधिक ग्रामों में बँटा हुआ पाया जाता है, तो जनगणना 2001 के अनुसार मूल ग्राम की पहचान की जाएगी और उसका सर्वेक्षण किया जाएगा ।

2.0.3 बड़े गैर-कृषि उद्यमों का सूचीकरण एवं अंश 9 का गठन : प्रतिदर्श प्र.च.इ. की सरहदें सुनिश्चित करने के पश्चात् सभी 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले एवं गत 365 दिनों के दौरान कम से कम एक दिन संचालित होने वाले गैर-कृषि उद्यमों को अनुसूची 0.0 के खण्ड 4 में सूचीकृत किया जाएगा । यह प्र.च.इ. का अंश 9 बनायेगा । जब भी बड़े उद्यम उपलब्ध हों प्रतिदर्श प्र.च.इ. में अंश 9 का गठन खेड़ा-समूह के गठन की परवाह किए बिना किया जायेगा । बगैर खे.स./उ.खं. गठन वाली प्रचइयों के लिए, खंड 4 में अंश 9 के लिए उद्यमों का सूचीकरण और खंड 5ए में उद्यमों का सूचीकरण साथ-साथ किया जाये । उन प्र.च.इयों के लिए जिनमें खेड़ा-समूह/उप खंड गठन आवश्यक है, खण्ड 4 में अंश 9 के उद्यमों का सूचीकरण खंड़ों के सूचीकरण के समय ही किया जायेगा (व्याख्या पैरा 2.0.4.1 में की गई है) उद्यमों को खण्ड 5ए (अर्थात् अंश 1/2) में सूचीबद्ध करते समय इन बड़े उद्यमों को पुनः शामिल नहीं करना है ।

2.0.4 खेड़ा-समूहों (खे.स.) का गठन और अंश 1 और 2 का गठन : मुख्यतः उद्यमों के सूचीकरण के स्तर पर कार्यभार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े प्र.च.इ.यों में खेड़ा-समूह गठन लागू किया जायेगा । एक बड़े प्र.च.इ. को उप-प्रभागों जिन्हें खेड़ा-समूह कहा जाता है, की एक निश्चित संख्या (D) में विभाजित कर दिया जायेगा । गठित किये जाने वाले खेड़ा समूहों की संख्या (अर्थात् D का मान) निर्भर करेगी प्रतिदर्श प्र.च.इ. की लगभग वर्तमान जनसंख्या पर और/या प्रतिदर्श ग्राम में विद्यमान गैर-कृषि उद्यमों की लगभग संख्या पर । केरल के मामले में 'ग्राम' का अर्थ 'पंचायत वार्ड' से होगा । एक बड़े ग्राम में गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों की संख्या को सुनिश्चित करने के मापदंड पर अध्याय एक में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है । अंश 1 और 2 के गठन हेतु निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जाए ।

प्र.च.इ. में सर्वेक्षण की व्याप्ति के अंतर्गत सेवाई क्षेत्र उद्यमों की अधिकतम संख्या वाले खेड़ा समूह को निश्चित रूप से (अर्थात् सम्भाव्यता सहित) चयनित किया जाएगा और उसे अंश 1 निर्दिष्ट किया जाएगा । यदि किसी प्र.च.इ. में कोई भी सेवाई क्षेत्र उद्यम न हो, तो गैर-कृषि उद्यमों की संख्या पर विचार किया जाएगा । तब गैर-कृषि उद्यमों की अधिकतम संख्या वाले खेड़ा-समूह को अंश 1 के रुप में चुन लिया जाएगा । यदि प्रतिदर्श प्र.च.इ. में कोई भी गैर-कृषि उद्यम न हो, तब खेड़ा समूहों की लगभग जनसंख्या पर विचार किया जाएगा और वह खेड़ा समूह जिसकी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, को अंश 1 के रुप में लिया जाएगा ।

प्रतिदर्श प्र.च.इ. के शेष बचे खेड़ा-समूहों में से सर्वेक्षण हेतु दो और खेड़ा समूहों का चयन समान सम्भाव्यता के साथ प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) विधि का पालन करते हुए किया जाएगा और उन्हें एक साथ अंश 2 अंकित कर दिया जाएगा ।

उद्यमों का सूचीकरण और चयन अंश 9, 1 और 2 में अलग-अलग एवं स्वतंत्र रूप से किया जायेगा । बगैर खे.स./उ.खं. गठन वाली प्रचइयों में अंश 2 नहीं होगा ।

खेड़ों के सूचीकरण, अंश 9 का गठन और खेड़ा-समूहों के गठन की क्रियाविधियां नीचे दर्शायी गई है ।

2.0.4.1 क्रियाविधि : एक बड़े ग्राम में सामान्यतः कुछ टोले या पाकेट विद्यमान होते हैं जहाँ ग्राम के मकान एक साथ झुंड में बसे होते हैं । इन्हें 'खेड़ा' कहा जाता है । यदि ग्राम में ऐसा कोई ज्ञात खेड़ा नहीं है तो ग्राम के जनगणना उप-प्रभागों (उदाहरणार्थ गणना खंडों या जनगणना मकान संख्याओं के समूह या मकानों के भौगोलिक रुप से पृथक खंडों) को 'खेड़ा' माना जा सकता है । खेड़ा-समूह गठन के उद्देश्य के लिए जनसंख्या धारिता में कमोवेश समानता रखने के लिए बड़े खेड़ों को कृत्रिम रुप से विभाजित किया जा सकता है । खेड़ा-समूहों के गठन की क्रियाविधि को उसमें निहित चरणों को निम्न अनुक्रम में सूचीबद्ध करके समझा जा सकता है :-

(i) ऊपर वर्णित विधि से खेड़ों की पहचान करें ।

(ii) प्रत्येक खेड़े की वर्तमान लगभग जनसंख्या का निर्धारण करें और उन खेड़ों की पहचान करें (क) जिनमें कम से कम एक बड़ा गैर-कृषि उद्यम है (अर्थात् 20 या उससे अधिक कर्मियोंवाला गैर-कृषि उद्यम), (ख) सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत एक अधिष्ठान वाले खेड़े, (ग) सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत स्व-कार्यरत गैर-कृषि उद्यम वाले खेड़े ।

(iii) ऊपर (ii) में बड़े उद्यमों के रुप में पहचाने गए प्रत्येक खेड़े के लिए खेड़े के सभी बड़े गैर-कृषि उद्यमों को खंड 4 में सूचीबद्ध किया जाएगा ।

(iv) खेड़ों की लगभग ठीक अवस्थितियों को दर्शाते हुए, खंड 2 में एक काल्पनिक मानचित्र बनायें और उत्तर पश्चिमी कोने से आरंभ करके दक्षिण की ओर जाते हुए सर्पाकार क्रम में उन्हें संख्यांकित करें। मानचित्र बनाते समय, ग्राम के गैर-आबादी वाले क्षेत्रों को नजदीकी खेड़े के एक हिस्से के रुप में शामिल कर लिया जायेगा जिससे ग्राम का कोई क्षेत्र छूट न जाए । खेड़ों की सीमाओं को कुछ भूमि-चिह्नों जैसे नहर, पैदलपथ, रेल पथ, सड़क, भूकर सर्वेक्षण भूखंड संख्याओं आदि से परिभाषित कर दें जिससे ग्राम में गठित होने वाले खेड़ा-समूहों की भौगोलिक सीमा रेखाओं की पहचान और अवस्थिति की जानकारी सम्भव हो सके ।

(v) खंड 3.1 में खेड़ों को उनकी संख्या के क्रम में सूचीबद्ध करें । प्रत्येक खेड़े के लिए 'क्षेत्र प्रकार' को और वर्तमान जनसंख्या धारिता या गैर-कृषि उद्यमों को 'डी' के मान को जिस मापदण्ड के आधार पर निर्धारित किया गया है, को प्रतिशत में दर्शायें ।

(vi) इसके पश्चात् खेड़ों का समूहीकरण 'D' खेड़ा-समूहों में करें । खेड़ा-समूह गठन के लिए अपनाये जाने वाले मापदंड हैं : (i) यदि जनसंख्या मापदंड अपनाया जाता है तो भौगोलिक सामीप्य और समानता वाली जनसंख्या (ii) यदि अपनाये जाने वाले मापदंड उद्यम हैं तो गैर कृषि उद्यमों का भौगोलिक सामीप्य और समानता (समूहीकरण के लिए मार्गदर्शन स्वरूप खेड़ों का संख्यांकन नहीं अपनाया जाना है) । यदि इन दोनों पहलुओं के बीच कोई विरोध पाया जाता है तो भौगोलिक रूप से पास-पास होने की स्थिति को प्राथमिकता दी जायेगी । समूहीकरण को मानचित्र में दर्शायें ।

(vii) इसके बाद अनुसूची 0.0 के खंड 3.2 में खेड़ा-समूहों का संख्यांकन करें । खेड़ा-समूहों को खण्ड 3.2 के कालम (1) में क्रमवार संख्यांकन किया जाएगा । जिस खेड़ा-समूह में खेड़ा संख्या-1 है उसे संख्या 1 दी जायेगी, अगली उच्च खेड़ा संख्या, जो खे.सं. 1 में शामिल नहीं है वाले खेड़ा समूह को संख्या 2 दी जायेगी और इसी प्रकार आगे । संख्याओं को काल्पनिक मानचित्र में भी दर्शायें । यह सम्भव है कि एक खेड़ा-समूह की रचना लगातार क्रम संख्याओं वाले खेड़ों से न हुई हो । प्रत्येक खेड़ा-समूह के लिए क्षेत्र के प्रकार और प्रतिशत जनसंख्या या प्रतिशत गै.कृ.उ. जैसा भी मामला हो, को इंगित करें ।

2.0.5 उप खण्डों का गठन और उनका चयन : उप-खंडों के गठन बड़े गैर-कृषि उद्यमों वाले उप खंडों की पहचान एवं बड़े गैर-कृषि उद्यमों के सूचीकरण की प्रक्रिया वही है, जो बड़े ग्रामों में खेड़ा समूहों के गठन के लिए अपनायी जाती है । यहां उप खण्डों का गठन कृत्रिम रुप से खण्डों को प्रभागों की एक निश्चित संख्या (मान लें D) में विभाजित करके की जानी है । ऐसा करते समय प्रत्येक उप खण्ड में भौगोलिक संघनता (Compactness) को प्राथमिकता देते हुए जनसंख्या या गैर-कृषि उद्यमों की न्यूनाधिक समानता का ध्यान रखा जायेगा । D के मूल्य का निर्धारण उसी मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा, जो ग्रामीण प्र.च.इ.यों के मामले में अपनाया गया था । उप खण्डों का संख्यांकन क्रमवार खण्ड 3.2 के कालम (1) में किया जायेगा । प्रत्येक उप-खण्ड के लिए लगभग वर्तमान जनसंख्या या गैर-कृषि उद्यमों का निर्धारण कुल जनसंख्या या गैर-कृषि उद्यम की कुल संख्या की प्रतिशतता में करें और बड़े गैर-कृषि उद्यमों के उप-खंडों की पहचान करें । प्रत्येक उप खण्ड की प्रतिशत जनसंख्या या प्रतिशत गैर-कृषि उद्यम को खण्ड 3.2 के कालम (3) में दर्ज करें । पहचान किए गए उप खंडों से बड़े गैर-कृषि उद्यमों को खण्ड 4 में सूचीकृत करें जो अंश 9 बनाएगा । उप खंडों का चयन, अंश 1 और अंश 2 का गठन का तरीका बिल्कुल वही हैं जो खे.स. गठन वाली ग्रामीण प्र.च.इ.यों का है ।

उद्यमों का सूचीकरण और चयन प्रत्येक चयनित अंश के लिए अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से किया जाएगा ।

2.0.6 सूचीकरण के लिए प्रारम्भ बिंदु : सर्वेक्षण की जाने वाली क्षेत्रीय इकाई के निर्धारण के पश्चात् अन्वेषक प्र.च.ई. में गैर-कृषि उद्यमों की सूची बनाने में लग जाएगा । सूचीकरण उसी क्रम में किया जाएगा जैसा कि 2001 जनगणना (या 2011 जनगणना यदि उपलब्ध हो) में मकान सूचीकरण का क्रम है । यदि मकान सूचीकरण का जनगणना क्रम उपलब्ध नहीं है तो सूचीकरण प्र..च.ई./अंश के उत्तर पश्चिमी कोने से आरम्भ करके दक्षिण की ओर सर्पाकार क्रम में बढ़ते हुए किया जाए । परिवारों के सूचीकरण के समय, उनके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक न्यूनतम विवरण वर्गीकरण (अर्थात् द्वितीय चरण स्तर) के उद्देश्य से एकत्र किए जायेंगे ।

2.0.7 खण्ड 3.1, 3.2, 4, 5ए, 5बी के अतिरिक्त पत्रकों का उपयोग : जब एक अनुसूची पुस्तिका प्रतिदर्श प्र.च.इ./खे.स./उ.ख. के सभी खेड़ों एवं खेड़ा-समूहों/उ.ख. (खण्ड 3.1, 3.2) या सभी उद्यमों (खण्ड 4, 5ए और 5बी) को सूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त न हो, तो संगत खण्डों वाले अतिरिक्त पत्रकों का उपयोग किया जाएगा और उन्हें मुख्य अनुसूची में ठीक से बांध दिया जाएगा ।

अनुसूची 0.0 के विभिन्न खण्डों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों की व्याख्या आगे के अनुच्छेदों में की गई है ।

खण्डों को भरने से पहले यह आवश्यक है कि अनुसूची के प्रथम पृष्ठ पर बांयी ओर और दांयी ओर ऊपरी कोने में उपयुक्त कक्ष में सही चिह्न लगा दिया जाय ।

खंड 0 : प्रतिदर्श ग्राम/खंड की पहचान के विवरण

2.0.8 सामान्य : यह खण्ड प्रतिदर्श ग्राम/खंड की विवरणात्मक पहचान के विवरणों को दर्ज करने के लिए है । राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र, ज़िला, तहसील/नगर का नाम (उपयुक्त कक्ष में सही चिह्न लगायें), ग्राम का नाम, वार्ड सं. अन्वेषक (IV) इकाई संख्या, खण्ड संख्या प्रतिदर्श सूची से नकल करके उपयुक्त स्थान पर दर्ज की जाएंगी ।

खण्ड 1 : प्रतिदर्श ग्राम/खंड की पहचान

2.1.0 सामान्य : यह खण्ड प्रतिदर्श ग्राम/खंड की पहचान के विवरणों को संकेतांकों या संख्याओं में दर्ज करने के लिए है । सभी मदों से सम्बन्धित विवरण खण्ड में प्रत्येक मद के सामने दी गई चौकोर खाली स्थान में दर्ज किये जायेंगे (मद 2 और 3 को छोड़कर, जिनका संकेतांक पहले ही मुद्रित है) । अनेक कक्षों के लिए, सबसे दाहिनी ओर के कक्ष में इकाई अंक एवं उसके बाद के बांयें कक्ष में दहाई अंक एवं इसी प्रकार आगे भरा जायेगा । *मद 1, 4 से 11 और 13 से 15 को प्रतिदर्श सूची से नकल करके भरा जायेगा ।*

2.1.1 मद 12 : क्षे.सं.प्र. उप-क्षेत्र : जिस क्षे.सं.प्र. उप-क्षेत्र में प्रतिदर्श प्र.च.इ. पड़ती है उससे संबंधित चार अंकों वाला संकेतांक मद 12 में दर्ज किया जाएगा । *राज्य प्रतिदर्शों के लिए और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के केन्द्रीय प्रतिदर्शों, जिनके क्षेत्र-कार्य संबंधित राज्यों द्वारा किये जाते हैं, के लिए भी इस मद में एक '-' चिह्न लगा दिया जाएगा ।*

2.1.2 मद 13 : ढाँचा संकेतांक : प्र.च.इ(यों) के चयन के लिए उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ढांचों को प्रतिदर्श सूची में ''ढाँचा संकेतांक'' से दर्शाया गया है । मद सं. 13 में प्रविष्टि प्रतिदर्श सूची से नकल करके की जायेगी । यह नोट किया जाये कि जहाँ पर भी आर्थिक गणना 2005 का प्रयोग किया गया है, वहां हो सकता है कि नवीनतम न.ढां.स. का प्रयोग नहीं किया गया है । उपयोग किये जाने वाले ढाँचा संकेतांक हैं :-

ग्रामीण : 2001 जनगणना - 13;
नगरीय : 1982-87 न ढां स - 06; 1987-92 न.ढां.स. - 07; 1992-97 न.ढां.स. - 09;
1997-2002 न.ढां.स. - 11; 2002-2007 न.ढां.स. - 14

2.1.3 मद 14 : ढांचा जनसंख्या : प्रतिदर्श प्र.च.इ. की जनसंख्या, जो प्रतिदर्श सूची में दी गयी है, उसे यहाँ नकल की जायेगी । ग्रामों के लिए, यह जनगणना 2001 जनसंख्या होगी । न ढां स खंडों के लिए, यह न ढां स ढांचा के अनुसार खण्ड की न ढां स खण्ड जनसंख्या होगी ।

यदि एक प्रतिदर्श प्र.च.इ. के लिए प्रतिदर्श जनसंख्या उपलब्ध नहीं है तो इस मद को खाली रखा जाये ।

2.1.4 मद 16 : लगभग वर्तमान जनसंख्या : सर्वप्रथम अन्वेषक समूचे प्रतिदर्श प्र.च.इ. की लगभग वर्तमान जनसंख्या का निश्चित पता जनसंख्या की सामान्य वृद्धि और साथ ही प्रतिदर्श प्र.च.इ. में जनसंख्या के असामान्य समागम या जनसंख्या के निर्गमन पर भी ध्यान रख कर करेगा । प्रधानतः जानकार व्यक्तियों से कुछ खोजी प्रश्न पूछकर इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । प्रारंभ बिन्दु ग्रामीण के मामले में 2001 जनगणना जनसंख्या और नगरीय के मामले में न.ढा.स. जनसंख्या हो सकती है । यदि ढांचा जनसंख्या से बड़ा अंतर पाया जाता है तो यह पूछा जाए कि जनगणना/न.ढां.स. के पश्चात् क्या प्र.च.इ. में कोई असामान्य समागम या निर्गमन हुआ है या ग्राम का विभाजन या अन्य ग्राम/नगरीय क्षेत्र से विलयन हुआ और यदि ऐसा है, तो जनगणना/न.ढां.स. के बाद ऐसी घटनाओं या कोई नया अधिवास बसने के फलस्वरुप जनसंख्या में हुई लगभग वृद्धि या कमी का पता किया जाना है । मध्यवर्ती अवधि के दौरान जनसंख्या में कुछ बढ़त/घटन हुआ है तो लगभग वर्तमान जनसंख्या और ढांचा जनसंख्या के बीच बढ़ी भिन्नता को बताने में यदि मुश्किल है तो खंड 9/10 में ऐसी भिन्नता के लिए उचित टिप्पणी देनी होगी ।

2.1.5 मद 17 : गैर-कृषि उद्यमों की लगभग संख्या : पूरे प्रतिदर्श ग्राम/खंड में गैर-कृषि उद्यमों की लगभग संख्या जो कि स्थानीय जानकार व्यक्तियों से ज्ञात की गयी है, यहां दर्ज की जायेगी ।

2.1.6 मद 18 : गठित खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों की कुल संख्या (D) : प्रतिदर्श प्र.च.इ. में गठित खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों की कुल संख्या खण्ड 3.2 में दर्ज 'D' के मान के बराबर होगी । यदि प्रतिदर्श प्र.च.इ. में किसी खेड़ा-समूह/उप-खण्डों के गठन की आवश्यकता नहीं है तो इस मद की प्रविष्टि "1" होगी ।

2.1.7 मद 19 : सर्वेक्षण संकेतांक : विभिन्न सर्वेक्षण संकेतांक हैं :-

चयित ग्राम/खंड का सर्वेक्षण किया गया :-

बसा हुआ 1
बसा हुआ नहीं 2
शून्य मामला 3

चयित ग्राम/खंड आहत है परंतु एक प्रतिस्थापित ग्राम/खंड का सर्वेक्षण किया गया :-

बसा हुआ 4
बसा हुआ नहीं 5
शून्य मामला 6

चयित ग्राम/खंड आहत है और किसी प्रतिस्थापी का सर्वेक्षण नहीं हुआ है 7

"शून्य मामलों" के कुछ उदाहरण हैं : वे प्र.च.इ.(यां) जो पूर्णतः सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों (जैसे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि) के बैरकों वाली है, शहरी क्षेत्र के रुप में घोषित ग्रामीण क्षेत्र जो अब शहरी प्रतिचयन हेतु शहरी ढांचा सर्वेक्षण के ढांचे का एक हिस्सा है, किसी बांध के पानी में पूरी तरह डूब चुकी प्र.च.इ. या फैक्टरी निर्माण अथवा कोई परियोजना निर्माण कार्य के लिए जमीन के अधिग्रहण किए जाने के कारण पूरी जनसंख्या वहां से अधिनिष्कासित कर दी गयी हो और भविष्य में उनके फिर से बसने की कोई सम्भावना नहीं है । इसके विपरीत, ऐसी प्र.च.इ. जिसकी पूरी आबादी कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, तूफान आदि के कारण अन्यत्र चली गयी हो, परन्तु भविष्य में उनके लौटने की सम्भावना हो, आबादी रहित प्र.च.इ. मानी जायेंगी और उनके लिए संकेतांक 2 या 5, जैसा भी मामला हों दर्ज किया जाएगा । यदि प्रतिस्थापित प्रचइ का सर्वेक्षण न किया जा सके तो सर्वेक्षण संकेतांक 7 होगा ।

2.1.8 मद 20 : मूल प्रतिदर्श के प्रतिस्थापन का कारण (मद 19 में संकेतांक 4-7 के लिए) : ऐसे सभी मामलों में जहां मूल चयित प्रतिदर्श प्र.च.इ. आहत हो चाहे उसे प्रतिस्थापित एवं सर्वेक्षित किया गया हो या नहीं (अर्थात् जब मद 19 में संकेतांक 4 से 7 हो) तो उसके आहत होने का कारण मद 20 में संकेतांक के रुप में दर्ज किया जाएगा । संकेतांक निम्नलिखित हैं :-

मूल प्रतिदर्श प्र.च.इ. :

पहचानने योग्य/पता लगाने योग्य नहीं 1
अगम्य 2
प्रतिबंधित क्षेत्र जिसके सर्वेक्षण की अनुमति नहीं है 3

अन्य (निर्दिष्ट करें) 9

यदि मद 19 में प्रविष्टि 1 या 2 या 3 हो तो इस मद में एक '-' चिन्ह दे दिया जाय । पूर्णतः सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों के बैरकों वाली प्र.च.इ.यां के मामलों को मद 20में संकेतांक 3 दर्ज करने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं माना जाएगा । ऐसे मामले सर्वेक्षित माने जायेंगे और इन्हें शून्य मामलों के रुप में लिया जाएगा जैसा कि पहले बताया जा चुका है ।

खंड 2 : खेड़ा-समूह (खे.स.)/उप-खंड (उ.ख.) गठन का रेखाचित्र

2.2.0 : बड़ी प्रथम चरण इकाइयों जिनमें खे.स./उ.ख. का गठन आवश्यक है, के लिए खंड में दिए गए स्थान का उपयोग गठित खेड़ों और खेड़ा-समूहों/उप-खंडों की सीमाओं को दर्शाते हुए प्र.च.इ. का एक मुक्त हस्त रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे बाद में उस रेखाचित्र की सहायता से क्षेत्र में उनकी पहचान की जा सके । इसे माप के अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं है । खेड़ों की क्रम संख्याएं, जो कि खंड 3.1 के कालम (1) में दी गई हैं, रेखाचित्र में प्रत्येक खेड़े पर लिख दी जायेंगी । खंड 3.2 के कालम (1) में दी गई खेड़ा समूह जिसमें वह खेड़ा शामिल है, प्रत्येक खेड़े के सामने खेड़ा की दाहिनी ओर कोष्ठक में दिखाई जाएगी । उसी तरह, उप-खंडों को भी मानचित्र में संख्यांकित किया जायेगा । चुने गये खे.स./उ.खं. के क्षेत्र को रेखाचित्र में छायाकृत करके दिखाया जाएगा ।

खण्ड 3.1 : खेड़ों की सूची (खेड़ा-समूह(खे.स.) गठन वाले केवल प्रतिदर्श ग्रामों के लिए)

2.3.1.0 : यह खण्ड केवल खेड़ा - समूहों के गठन की आवश्यकता वाले केवल ग्रामीण प्रतिदर्शों के गठन के लिए भरा जाना है । (अर्थात् D>1 के लिए) । ग्राम में स्थित सभी खेड़ों का सूचीकरण विशिष्ट क्रम में किया जाएगा ।

2.3.1.1 कालम (1) से (3) : खेड़ों के लिए एक लगातार क्रम संख्या कॉलम (1) में दी जाएगी । खेड़ों के नाम कॉलम (2) में लिखे जाएंगे । कुल जनसंख्या के प्रतिशत में व्यक्त प्रत्येक खेड़े की वर्तमान जनसंख्या, जब ग्राम में जनसंख्या के आधार पर 'D' का मान निकाला गया है, को पूर्णांकों में कॉलम (3) में दर्शाया जाएगा । जब डी के मान का निर्धारण गैर-कृषि उद्यमों की संख्या के आधार पर किया गया है तो गैर-कृषि उद्यमों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में इस कालम में प्रविष्टि की जायेगी । कॉलम (3) की प्रविष्टियों का योगफल 100 होना चाहिये ।

2.3.1.2 कालम (4) : क्षेत्र प्रकार : संकेतांकों को 1, 2 और 3 के प्राथमिकता क्रम में दिया जाएगा । कालम (4) में प्रविष्टि 1 होगी यदि कोई भी गैर-कृषि अधिष्ठान, खेड़ा में व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है । प्रविष्टि 2 होगी यदि खेड़े में व्याप्ति अंतर्गत कोई गैर-कृषि उद्यम नहीं है परंतु खेड़े में कोई गैर-कृषि स्व-कार्यरत उद्यम है । संकेतांक 3 प्रविष्टि की जाएगी यदि खेड़ा में व्याप्ति के अन्तर्गत कोई भी गैर-कृषि उद्यम नहीं है । ध्यान रखा जाए कि क्षेत्र प्रकार निश्चित करते समय, अंश 9 के लिए उद्दिष्ट उद्यमों को न शामिल किया जाए । कालम (4) में जानकारी का उपयोग खंड 3.2 में क्षेत्र प्रकार के निर्धारण हेतु किया जा सकता है ।

खण्ड 3.2 : खेड़ा समूहों (खे.स.)/उप खण्डों (उ.ख.) का चयन और सूचीकरण

2.3.2.0 सामान्य : यह खण्ड उन प्र.च.इ.यों के खे.स./उ.ख. गठन एवं उनके चयन के विवरण दर्ज करने के लिए है जिनमें खे.स/उ.ख. गठन (अर्थात् D > 1 के साथ) की आवश्यकता है । खेड़ा समूहों/उप खण्डों के गठन एवं संख्याकन की क्रियाविधि के लिए अनुच्छेदों 2.0.4, 2.0.4.1 और 2.0.5 का संदर्भ देखा जाए ।

2.3.2.1 कॉलम (1) : खे.स./उ.ख. की क्रम संख्या : गठित खे.स./उ.खण्डों को पैरा 2.0.4, 2.0.4.1 और 2.0.5 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कॉलम (1) में एक लगातार क्रम संख्या (1 से आरम्भ करके) दी जाएगी । इस कालम में अंतिम क्रम संख्या 'D' का मान होगी जिसे खण्ड शीर्षक के नीचे 'D' में दर्ज किया जाना है ।

2.3.2.2 कॉलम (2) : खे.स./उ.खं में खेड़ों की क्रम संख्या : इस कॉलम को केवल ग्रामीण न.ढां.स. के लिए भरा जाना है । प्रत्येक खेड़ा समूह बनाने वाले खेड़ों, जो खण्ड 3.1 के कॉलम (1) में दर्ज हैं, की क्रम संख्याएं 'कौमा' द्वारा विलग करते हुए कॉलम (2) में दर्ज की जानी है ।

2.3.2.3 कॉलम (3) : खे.स/उ.ख. में जनसंख्या गैर-कृषि उद्यम का प्रतिशत (%) : खे.स/उ.ख. की लगभग वर्तमान जनसंख्या जब जनसंख्या का आधार डी के मान पर निर्धारित है तो कुल प्र.च.इ. जनसंख्या के प्रतिशत में कॉलम (3) में पूर्ण अकों में दर्ज की जाएगी । गैर-कृषि उद्यमों की कुल संख्या का प्रतिशत गैर-कृषि उद्यमों की संख्या के अनुसार दर्ज किया जायेगा जब डी का मान गैर-कृषि उद्यमों के आधार पर निर्धारित किया गया है । इस कॉलम में प्रविष्टियों का योगफल हमेशा 100 होगा ।

2.3.2.4 कालम (4) : क्षेत्र प्रकार : संकेतांकों को 1, 2 और 3 के प्राथमिकता क्रम में दिया जाएगा । कालम (4) में प्रविष्टि 1 होगी यदि कोई भी गैर-कृषि अधिष्ठान, खे.स./उ.ख. में सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है । प्रविष्टि 2 होगी यदि व्याप्ति अंतर्गत कोई भी गैर-कृषि अधिष्ठान नहीं है अपितु खेड़ा समूह/उप खंड में कुछ गैर-कृषि स्व-कार्यरत उद्यम हैं । संकेतांक 3 प्रविष्टि किया जाएगा यदि खेड़ा में कोई भी गैर-कृषि उद्यम नहीं है । ध्यान रखा जाए कि क्षेत्र प्रकार निश्चित करते समय, अंश 9 के लिए उद्दिष्ट उद्यमों को न शामिल किया जाए । कालम (4) की सूचना का उपयोग खेड़ा-समूह/उप-खंड की पहचान के लिए कालम 5 में प्रतिचयन क्रम संख्या '0' निर्दिष्ट करने के लिए किया जाए ।

2.3.2.5 कालम (5) - (7) : सर्वेक्षण हेतु बड़े प्र.च.इ. से तीन खे.स./उ.ख. को चयनित किया जाएगा । एक खे.स./उ.ख. को सप्रयोज निम्नलिखित रुप से चयनित किया जाएगा ।

(क) सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत यदि अधिष्ठान वाले एक या उससे अधिक खे.स./उ.ख. है ; तो ऐसे अधिष्ठानों की अधिकतम संख्या वाले खे.स./उ.ख. को सप्रयोज चयनित किया जाएगा ।

(ख) यदि प्र.च.इ. में व्याप्ति के अंतर्गत कोई भी अधिष्ठान नहीं हैं परंतु स्व.का.उ. वाले एक या उससे अधिक खे.स./उ.ख. हैं, तो ऐसे गैर-कृषि उद्यमों की अधिकतम संख्या वाले खे.स./उ.ख. को सप्रयोज चयनित किया जाएगा ।

(ग) यदि प्र.च.इ. में कोई भी गैर-कृषि उद्यम सर्वेक्षण को व्याप्ति में नहीं है, तो कालम (3) के अनुसार अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वाले खे.स./उ.ख. का सप्रयोज चयनित किया जाएगा ।

निश्चितता वाले खे.स./उ.खं. को अंश 1 के जैसे पहचाना जायेगा और उसे कालम 5 में प्रतिचयन क्रम संख्या '0' दिया जायेगा ।

सप्रयोज चयनित खे.स./उ.ख. के लिए खे.स./उ.ख. संख्या '0' होगी और इसे अंश 1 कहा जाएगा ।
यदि उपर्युक्त वर्णित क्रियाविधि के अनुसार खे.स./उ.ख. '0' के रुप में पहचान किए जाने वाले मापदण्ड का पालन करने वाले खे.स./उ.ख. की संख्या एक से अधिक है, तो कालम 5 में '0' देने के लिए खे.स./उ.ख. के निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी :

i) यदि दो या उससे अधिक खे.स./उ.ख. में अधिष्ठान की समान अधिकतम संख्या है, तो व्याप्ति के अन्तर्गत मापदंड (क) के अनुसार जिसमें व्याप्ति के अन्तर्गत स्व.का.उ. की अधिकतम संख्या है, को खे.स./उ.ख. '0' के रुप में चुना जाएगा ।

ii) यदि फिर भी समानता रह जाती है, तो प्रथम सूचीकृत में से एक को खे.स./उ.ख. '0' के लिए चुना जाएगा ।

उसी तरह, जब व्याप्ति के अन्तर्गत कोई अधिष्ठान नहीं है और मापदंड (ख) के अनुसार व्याप्ति के अन्तर्गत स्व-कार्यरत उद्यमों की समान अधिकतम संख्या वाले एक से अधिक खे.सं./उ.ख. हैं तब भी उनमें से प्रथम सूचीकृत में से खे.स./उ.ख. '0' के लिए चुना जायेगा ।

2.3.2.5.1 कॉलम (5) : खे.स./उ.ख. के लिए प्रतिचयन क्रम संख्या : उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निश्चितता वाले चयनित खे.स./उ.खं. के समक्ष इस कालम में '0' की प्रविष्टि की जायेगी । शेष (D - 1) खे.स./उ.ख. को इस कालम में ऊपर से 1 से आरम्भ करके एक लगातार क्रम संख्या दी जाएगी ।

2.3.2.5.2 कॉलम (6) : चयन का क्रम : दो खे.स./उ.ख. का चयन (D - 1) खे.स./उ.ख. से प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा किया जाएगा । पहले कालम (5) के खे.स./उ.ख. संख्या '0' के समक्ष '0' प्रविष्ट किया जाएगा । उसके बाद 1 और (D - 1) के बीच एक यादृच्छिक संख्या, मान लें R1 निकालें । कालम (5) में क्रम संख्या के लिए अर्थात् R1 के बराबर कालम (6) में '1' प्रविष्ट करें । उसके बाद 1 और (D - 1) की बीच एक दूसरी यादृच्छिक संख्या निकालें । यदि यह R1 के बराबर है, तो इस यादृच्छिक संख्या को अस्वीकार कर एक दूसरी यादृच्छिक संख्या निकालें । जब तक कि R1 से भिन्न एक यादृच्छिक संख्या यथा R2 नहीं प्राप्त हो जाती तब तक इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें । कालम (5) में क्रम संख्या के लिए अर्थात् R2 के बराबर कालम (6) में '2' प्रविष्ट करें ।

अन्य सभी खे.स./उ.ख. (चयित तीन को छोड़कर) के लिए, कालम (6) रिक्त छोड़ दिया जाए ।

खण्ड शीर्ष में 'R' के लिए R1 और R2 के मानों को अल्प विरामों (कौमा) से अलग करते हुए दर्ज करें ।

2.3.2.5.3 कालम (7) : अंश संख्या : कालम (6) में चयन का क्रम 0 वाले खे.स./उ.ख. के लिए कालम (7) में '1' दर्ज किया जाएगा । कालम (6) में चयन का क्रम संख्याएं 1 और 2 वाले अन्य दो खे.स./उ.ख. के लिए, कालम (7) में '2' दर्ज करें ।

खंड 4 : प्रतिदर्श ग्राम/न.ढा.स. में 20 या उससे अधिक कर्मियों वाले बड़े गैर-कृषि उद्यमों की सूची (अंश 9):

2.4.0 सामान्य : यह खण्ड लघु प्रत्येक प्रचइ में स्थित बड़े गैर-कृषि उद्यमों को सूचीबद्ध करने के लिए है । इन उद्यमों की पहचान उद्यम में कामगारों की संख्या के मापदण्ड द्वारा की जाएगी । कोई भी गैर-कृषि उद्यम जिसमें कर्मियों की संख्या 20 या उससे अधिक है एवं सर्वेक्षण तिथि से गत 365 दिनों के दौरान कम से कम एक दिन भी संचालित हुआ हो, को इस खण्ड में सूचीबद्ध किया जाएगा । इन उद्यमों को प्रचइ के भीतर एक अलग अंश गठन करते हुए माना जाएगा (अंश 9) । पूरे प्रचइ में ऐसे सभी उद्यमों को सूचीबद्ध करने के पश्चात् वर्तमान सर्वेक्षण की व्याप्ति के अंतर्गत कार्यकलाप में रत केवल उन उद्यमों को विस्तृत अनुसूची 2.34 की पूछताछ हेतु शामिल किया जाएगा । *यह ध्यान रखा जाए कि अंश 9 में विद्यमान सभी योग्य उद्यम सर्वेक्षित किए जाएंगे एवं अंश 9 के लिए उद्यमों का प्रतिचयन आवश्यक नहीं होगा ।*

खण्ड 4 में उद्यमों का सूचीकरण खण्ड 5ए में उद्यमो के सूचीकरण के साथ किया जाए यदि प्रचइ छोटी है एवं खे स/उ ख आवश्यक नहीं है । ऐसे मामले में एक उद्यम या तो अंश 1 में या अंश 9 में शामिल होना चाहिए परंतु दोनों में नहीं । परंतु खे स/उ ख गठन वाले प्रचइयों के लिए, स्थिति समान नहीं है । हो सकता है कि एक बड़ी इकाई चयित खे स/उ ख में स्थित न होकर प्रचइ के अन्य खे स/उ ख में स्थित हो । ध्यान रखा जाए कि ये इकाइयाँ छूट न जाएं । अतः यह आवश्यक है कि इन बड़ी इकाइयों की पहचान एवं सूचीकरण प्रचइ में खे स/उ ख के गठन के चरण में ही कर लिया जाए । एक खेड़ा या उप-खण्ड के बारे में सूचना एकत्र करते समय, क्षेत्र कर्मचारी इसकी पूछताछ करेंगे कि खेड़ा/उप-खण्ड में क्या कोई बड़ा उद्यम है । यदि कोई हो, तो खेड़ा/उप खण्ड में ऐसे उद्यम की पहचान वहीं पर और उसी समय कर ली जाए एवं बगैर चूक के खण्ड 4 के कालम (1), (2)और (3) में मकान संख्या, परिवार क्रम संख्या (यदि आवश्यक हो) नाम और पता दर्ज कर दिया जाएगा । खेड़ा/उप खंड की पहचान के लिए उपयुक्त संदर्भ को भी उद्यम के अनुरुपी पंक्ति की दाहिनी ओर कोष्ठक में रखा जाए । इस पर बल दिया जाएगा कि यदि एक बड़ी इकाई चयित अंश 1 या 2 के अन्तर्गत क्षेत्र में स्थित है तो इसे अंश 9 में शामिल किया जाएगा और खण्ड 4 में सूचीबद्ध किया जाएगा ना कि खण्ड 5ए या 5बी में । अन्य शब्दों में कोई भी उद्यम अंश 1, 2 और 9 में आम नहीं होगा ।

2.4.1 खण्ड 4 के कॉलम खण्ड 5ए के कुछ कालमों के बिल्कुल समान ही हैं । इसलिए खण्ड 4 के कॉलमों को भरने की विस्तृत क्रियाविधि के लिए खण्ड 5ए के अधिन दिए गए अनुरुपी कॉलमों के विवरणों को देखें । कालम (10) में एक लगातार क्रम संख्या दर्ज की जाए जो अंश 9 में सम्मिलित योग्य उद्यमों के लिए प्रतिदर्श उद्यम संख्या होगी ।

2.5 खंड 5a एवं 5b

इन खंडों में सर्वेक्षण के लिए चुने गए दो अंशों में से प्रत्येक के लिए विभिन्न सूचनाएं अलग (2) दी जानी है । *जब कोई भी खेड़ा समूह/उप खंड चयन नहीं हुआ है तो इन कालमों में सम्पूर्ण ग्राम/खंड के सम्बन्ध में सूचना अंश संख्या "1" के सामने दी जाएगी ।*

2.5a खंड 5a : गैर-कृषि उद्यमों की सूची (अंश 1/2) :

2.5a.1 इस सर्वेक्षण के अधीन आनेवाले परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों (गै.कृ.उ.) निश्चित परिसर के बगैर और निश्चित परिसर वाले उद्यम का सूचीकरण इस खंड में किया जाएगा । सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत गैर-कृषि उद्यमों की पहचान, प्रतिचयन ढांचें को बनाना और प्रतिदर्श उद्यमों (अनु. 2.34 के लिए) हेतु कुछ विवरणों का संग्रह इस खंड में किया जाएगा । *बड़ी प्र.च.इ. जिनके लिए खे.स./उ.ख. गठन आवश्यक है के लिए अंश 1 और अंश 2 हेतु उद्यमों का सूचीकरण अलग से किया जाना है ।*

2.5a.2 यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि किसी मकान, परिवार या गैर-कृषि उद्यम के विषय में कोई छुट या पुनरावृत्ति न हो जाए । परिवार द्वारा चालित सभी गैर-कृषि उद्यम (बगैर स्थायी परिसर के या परिवार के परिसर में स्थित) जो अस्थायी रुप से अनुपस्थित पाये जाते हैं तथा स्थायी परिसर वाले अस्थायी रूप से तालाबन्द सभी गैर-कृषि उद्यमों को भी प्रतिदर्श चयन के लिए कुल ढांचे में सूचीबद्ध और शामिल किया जाना चाहिए । बशर्ते कि स्थानीय पूछताछ से निम्नलिखित सूचना सुनिश्चित की जा सके : (i) उद्यम सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत एक उद्यम है, (ii) उद्यम के कार्यकलाप का रा.औ.व. 2008 संकेतांक (iii) उद्यम का प्रकार (अर्थात् अधिष्ठान/स्व-कार्यरत उद्यम) (iv) उद्यम गत 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिन (मौसमी उद्यमों एवं एस.एच.जी. के लिए 15 दिन) संचालित हुआ हो । अनुपस्थित परिवार और उनके द्वारा चलाये जाने वाले उद्यमों के विषय में जहां तक सम्भव हो पड़ौसियों से विवरण प्राप्त करने के बाद उचित समय पर (अन्वेषकों के सामान्य कार्य घंटों के बाद भी परिवारों/उद्यमों से सम्पर्क करने का प्रयत्न करना चाहिए और आवश्यक पड़े तो सर्वेक्षण अवधि के दौरान प्रतिदर्श परिवार/खंड में परिवारों/उद्यमों का पुनः दौरा किया जाना चाहिये । इसलिए गै.कृ. उद्यमों के पूर्ण सूचीकरण सुनिश्चित करने के लिए सूचीकरण के कुछ निश्चित क्रम को अपनाना बेहतर होगा । जहां भी सम्भव हो, 2001 (2011, यदि उपलब्ध हो) जनगणना में अपनाये गए क्रम को ही अपनाया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि बाद में बना हुए मकान छूट न जाए अन्यथा सूचीकरण उत्तर-पश्चिमी कोने से आरम्भ करके सर्पाकार विधि से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए किया जाए । मकानों का सूचीकरण आरम्भ करने से पहले मकानों के किसी प्राकृतिक समूहीकरण के नाम जैसे खेड़ा, मार्ग, मुहल्ला आदि और सूचीकरण की तिथि को सबसे ऊपर लिख दिया जाए । यह पूर्णता की जांच में सहायक होगा ।

2.5a.3 सभी गै.कृ.ऊ. को सूचीबद्ध करने के लिए मकान दर मकान पूछताछ की जाएगी । एक निश्चित परिसर के बगैर उद्यम की गणना उस मकान में की जाती है जहां मालिक/संचालक रहता है और एक स्थायी परिसर वाले उद्यम का सूचीकरण उस मकान में किया जाएगा जहां वह स्थित है । सूचीकरण के दौरान निम्नलिखित दो स्थितियों को दिमाग में रखा जाए । पहली, हो सकता है एक उद्यम एक मकान । कमरे के बाहर से स्पष्टतः दिखाई ना पड़ता हो । उदाहरण के लिए एक परिवार का एक सदस्य मकान के भीतर छोटे खिलौने, गुड़िया, ट्रॉजिस्टर । रेडियो आदि का विनिर्माण करता है । जो कि मकान के बाहर से नहीं दिखता । दूसरा हो सकता है कि उद्यम किसी एक निश्चित स्थान पर भौतिक रुप से विद्यमान न हो जैसे एक फेरीवाला अपने सामान जैसे सब्जियां, फल, कपड़े आदि किसी एक निश्चित स्थान पर बैठकर नहीं बेचता । इस प्रकार के

उद्यमों का पता परिवार के सदस्यों के कार्यकलापों के बारे में पूछताछ से लगाया जाएगा ऐसे उद्यमों को सूचीबद्ध करने में आवश्यक सावधानी रखी जाए ।

2.5a.4 एक मकान का सूचीकरण करते समय अन्वेषक यह पता करेगा कि उस मकान में कितने परिवार (अस्थायी रुप से अनुपस्थित अर्थात् तालाबंद परिवार सहित) रह रहे हैं । प्रत्येक परिवार से वह परिवारिक सदस्यों द्वारा सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिन के दौरान कम से कम 1 दिन के लिए चलाए गए सभी गै.कृ.ऊ. के विवरण एकत्र करेगा । (हो सकता है कि उद्यम सूचीकरण की तिथि को चालू ना हो।) संदर्भ अवधि के दौरान परिवार द्वारा चलाये गए और जहां परिवार रह रहा है उसी मकान में स्थित तथा जो बगैर किसी निश्चित स्थान के चलाये जाते हैं उन सभी गै.कृ.उद्यमों को उस परिवार के नाम से एक के बाद दूसरा सूचीबद्ध किया जाएगा । परंतु उसी परिवार द्वारा चलाए जा रहे और अन्य निश्चित परिसर में स्थित गै.कृ.उद्यमों का सूचीकरण उद्यम के स्थान पर किया जाएगा । निवासी परिवार और पारिवारिक सदस्यों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के गै.कृ.उद्यमों का मान जैसा कि ऊपर वर्णित है के पूरे हो जाने के बाद अन्वेषक अन्य गै.कृ.उद्यमों यदि कोई हो, को सूचीबद्ध करेगा, जो उस मकान में स्थित हैं और जिनका प्रचालन किसी अन्य मकानों में रहने वाले परिवारों (चयित अंश/प्र.च.इ. के भीतर या बाहर) या एक संस्थागत निकाय द्वारा किया जाता है । इसके बाद अन्वेषक अगले मकान को सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढेगा । सभी मौसमी गै.कृ.उद्यमों के सूचीकरण करने में सावधानी बरतनी चाहिये, भले ही उनका प्रचालन सर्वेक्षण तिथि को न ही रहा हो ।

2.5a.5 बगैर निश्चित परिसर वाले गै.कृ.उद्यमों का सूचीकरण उनके स्वामियों के परिवारों के नाम से किया जागा जबकि निश्चित परिसर वालों का सूचीकरण उनके स्थान पर किया जाएगा । निश्चित परिसरों से हमारा तात्पर्य यह है कि उद्योग कार्यकलाप कुछ प्रकार की स्थायी संरचना में की जा रही है (विवरण के लिए पैरा 2.5a.7 देखें) । बगैर निश्चित परिसरों के चलने वाले साझेदारी उद्यमों को इस परिवार के नाम से सूचीबद्ध किया जाए इस परिवार में वह हिस्सेदार रहता है जो उद्यम को चलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है । एक मिश्रित कार्यकलाप करने वाले एक उद्यमी को रा.औ.व. संकेतांकों के अधीन अलग-अलग सूचीबद्ध किया जाए यदि प्रत्येक कार्यकलाप के लिए नियोजन, प्राप्ति, व्यय आदि का अलग लेखा उपलब्ध हो । अन्यथा इसका सूचीकरण प्रमुख कार्यकलाप के अनुरुपी रा.औ.व. संकेतांक से एक उद्यम के रुप में किया जाएगा । प्रमुख कार्यकलाप से हमारा तात्पर्य उस कार्यकलाप से है जिससे पिछले लेखा वर्ष के दौरान उद्यम को अधिकतम आय की प्राप्ति हुई है । यदि आय के आधार पर प्रमुख कार्यकलाप निश्चित करने में कठिनाई होती है तो इसे विनिर्दिष्ट क्रम में टर्नओवर/नियोजन को देखते हुए किया जा सकता है ।

इस बात का ध्यान रहे कि ऐसे सभी गै.कृ.ऊ. जो पिछले 365 दिनों के दौरान कम से कम एक दिन के लिए भी प्रचालित हुए, को सूचीबद्ध करता है भले ही वे सर्वेक्षण तिथि को प्रचालित हो रहे हों या नहीं । तथापि यदि उस स्थायी परिसर वाला कोई ऐसा गै.कृ.ऊ. सामने आए जिसमें अपने प्रचालन के स्थान परिवर्तित (अर्थात् सूचीकरण के अन्तर्गत आनेवाली वर्तमान संरचना में प्रचालन बंद) कर दिया है, तो उसे उसके पहले स्थान पर सूचीबद्ध न करके दूसरे स्थान जहां वह प्रचालित हो रहा है सूचीबद्ध किया जाएगा बशर्ते कि परिवर्तित स्थान उसी अंश/प्र.च.इ. के अंदर हो । दूसरी ओर एक उद्यम ऐसा मिल सकता है जो अपने वर्तमान स्थान पर अंश/प्र.च.इ. के भीतर या बाहर के किसी स्थान से आया है । ऐसे मामलों में पूर्व और वर्तमान दोनों पतों पर विचार करते हुए योग्यता के निर्धारण के लिए प्रचालन की सम्पूर्ण अवधी को ध्यान में रखा जाएगा ।

2.5a.6 अंश 2 में सूचीकरण करते समय, दो चयित खेड़ा-समूहों उप खंडों के मकानों, परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों को एक लगातार क्रम संख्यायें देते हुए मानों वे मिलकर एक इकाई बनाते हों, परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा । ऐसा करने के लिए खेड़ा-समूह में शामिल खे.स./उ.ख., जिसका चयन पहले हुआ है (अर्थात् खे.स./उ.ख. जिनकी प्रतिचयन क्रम संख्या खंड 3.2 के कालम (6) में 1 है) के खेड़े की क्रम संख्या और नाम को प्रतिचयन खंड (अर्थात् खंड 5a) की प्रथम पंक्ति में बड़े-बड़े अक्षरों में दर्ज किया जायेगा । इस खे.स./उ.ख. के मकानों/परिवारों/गैर-कृषि उद्यमों का सूचीकरण पूरा करने के पश्चात् एक पंक्ति को खाली छोड़ दिया जाना है उसके बाद की पंक्ति में, अगले खे.स./उ.ख. (अर्थात् खे.स./उ.ख. जिनकी

प्रतिचयन क्रम संख्या खंड 3.2 के कालम (6) में 2 रहा है) के खेड़ों की क्रम संख्या और नाम साफ-साफ बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और इस खे.स./उ.ख. में शामिल मकानों/परिवारो/गैर-कृषि उद्यमों का सूचीकरण अगली पंक्ति से प्रारंभ किया जाएगा । तथापि जहाँ कोई खे.स./उ.ख. गठन नहीं हुआ है, सूचीकरण केवल अंश 1 के अंतर्गत किया जायेगा ।

2.5a.7 सूचीकरण से संबंधित कुछ विशिष्ट स्थितियों का वर्णन नीचे किया गया है :

(i) एक 'हाट' (अर्थात् आवधिक बाजार) में पंचायत या स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित कुछ स्थायी संरचनायें हैं । उद्यमी उसे हाट के दिन ले लेते हैं और अपने कार्यकलाप करते हैं । इन्हें बिना स्थायी परिसर के कार्यकलाप माना जायेगा और इनका सूचीकरण स्वामी के आवास के अनुसार किया जायेगा भले ही वे अपने कार्यकलाप कमोवेश स्थायी जगहों पर करते हों । यह उल्लेखनीय है कि सड़क के किनारे खुले सावर्जनिक स्थान जैसे एक पुल, एक पेड़ आदि के नीचे किसी अस्थायी कामचलाऊ संरचना या बिना किसी संरचना के चलाये जाने वाले कार्यकलाप बिना किसी स्थायी परिसर के चलाये जाने वाले माने जायेंगे ।

(ii) दैनिक बाजार या हाट में, कुछ सब्जी/मछली बिक्रेता अपना कार्यकलाप खुले स्थान पर या टेन्ट/आश्रय (जिसके ऊपर में कैनवास/कपड़ा छाया होता है और जो कोनों में लकड़ियों में बंधे/जड़े होते हैं) में चलाते हैं । इन उद्यमों का सूचीकरण बाजार हाट में नहीं किया जायेगा बल्कि स्वामियों के घर पर किया जायेगा जहां वे रहते हैं ।

(iii) परिवहन उद्यम जैसे टैक्सी, रिक्सा आदि चलाने वाले व्यक्ति जिनका उद्यम चलाने हेतु कोई अलग से निर्धारित स्थान नहीं है, को उनके आवास स्थान पर सूचीबद्ध किया जाएगा ।

(iv) बिना स्थायी परिसरों के साझेदारी आधार पर चलाये जाने वाले उद्यमों को उस साझीदार के परिवार में सूचीबद्ध किया जायेगा जो उद्यम चालने के लिए प्रमुख निर्णयें लेता है । यदि साझीदार चयनित प्र.च.इ. में नहीं रहता हो, तो प्र.च.इ. में रहने वाला साझीदार से मिलकर सूचना एकत्र की जाएगी । यदि ऐसे एक से अधिक साझेदार प्र.च.इ./खे.स./उ.ख. में रहते हैं, तो जिसे प्रथम सूचीबद्ध किया गया है, को सूचक के रूप में चयन किया जायेगा ।

(v) ईटों के भट्ठे जिनके स्थायी कायस्थल (संरचना सहित या बिना उसके) हैं, हमेशा अपने कार्यस्थल पर सूचीबद्ध होंगे । कुम्हारगीरी (पॉटरी) के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

(vi) मिश्रित कार्यकलापों के लिए, यदि विभिन्न कार्यकलापों के लिए लेखा, रोजगार आदि को अलग-अलग दिखाया जा सकता है तो प्रत्येक कार्यकलाप को अलग-अलग सूचीबद्ध किया जायेगा । अन्यथा, उन्हें किसी एक प्रधान कार्यकलाप अर्थात् प्राथमिकता के क्रम में वह जिसकी आय/आवर्त (टर्नओवर)/ रोजगार अधिक है, के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए । ऐसे उद्यमों के सूचीकरण और द्वितीय-चरण स्तर में वर्गीकरण हेतु उपयुक्त रा.औ.व.(NIC) संकेतांक के निर्धारण के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाए : (क) जब विस्तृत समूह के अन्तर्गत कार्यकलाप (विनिर्माण, व्यापार, अन्य सेवायें और शेष कार्यकलाप) को मिश्रित कर दिया है, मुख्य कार्यकलाप (अर्थात् क्या उन्हें व्याप्ति के अंतर्गत माना जायेगा) को निम्न तरीके से निर्धारित किया जायेगा : (i) विनिर्माण + व्यापार + अन्य सेवायें और (ii) शेष कार्यकलाप के लिए अधिकतम आय/आवर्त/रोजगार का पता लगायें । यदि (i) (ii) से अधिक है, तो उद्यम व्याप्ति के अंतर्गत रहेगा । अन्यथा, वह व्याप्ति के अन्तर्गत नहीं रहेगा (खंड 4 और 5ए के कालम 5 में संकेतांक 4 होगा) (ख) जब दो या उससे अधिक सेवा कार्यकलाप मिश्रित हों, तो अधिकतम आय/आवर्त/रोजगार के आधार पर मुख्य कार्यकलाप का निर्धारण रा.औ.व. के 2/3/4/5 अंकीय स्तर पर कर लिया जायेगा । यह आवश्यक है क्योंकि उद्यमों के अंतर्गत कुछ संकेतांक 2 या 3 या 4 या 5 अंकीय संकेतांक या तो सर्वेक्षण की व्याप्ति के बाहर है या वह भिन्न द्वितीय चरण स्तर में हैं ।

(vii) विनिर्माण और व्यापार के मिश्रित कार्यकलाप जैसे हैंडलूम बुनकर मिठाई की दुकानों के मामले में परिपाटी के अनुसार विनिर्माण को प्रधान कार्यकलाप माना जायेगा । यदि उद्यम का विनिर्माण-कार्यकलाप घर में किया जाता है और उत्पादों की बिक्री एक निश्चित स्टाल या दुकान या एक स्थायी संरचना में की जाती है तो उद्यम का सूचीकरण विनिर्माण उद्यम के रुप में घर के स्थान पर किया जायेगा न कि स्टॉल/दुकान पर ।

(viii) यदि एक ही सेवा कार्यकलाप भिन्न जगहों पर किया जा रहा हो उदाहरणार्थ, एक चिकित्सक के चेम्बर विभिन्न स्थानों पर या एक कोचिंग संस्थान के केन्द्र भिन्न स्थानों पर उसी प्र.च.इ. में अथवा भिन्न प्र.च.ई.यों में फैले हो सकते हैं, तो प्रत्येक को एक अलग उद्यम के रुप में सूचीबद्ध किया जाएगा । यदि लेखा (हिसाब-किताब) को अलग कर पाना सम्भव न हो, तो उचित विभाजन कर लिया जाए ।

(ix) कभी-कभी एक प्रतिष्ठान अपने कार्यों को सुगम करने हेतु एक कार्यालय स्थापित कर सकता है तथा दूसरी संस्थाओं या आम लोगों को किसी प्रकार की सेवा नहीं प्रदान करता है । कार्यालय मुख्य प्रतिष्ठान से दूरी पर यहाँ तक कि दूसरे शहर, जिला या राज्य में भी अवस्थित हो सकता है । ऐसे मामले में, जबकि मुख्य प्रतिष्ठान को उपयुक्त रा.औ.व. संकेतांक के अंतर्गत वर्गीकृत और सर्वेक्षित किया जाएगा, कार्यालय को भी प्रतिष्ठान का एक शाखा कार्यालय माना जाएगा और प्रतिष्ठान के उसी रा.औ.व. संकेतांक के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाएगा । तथापि, यदि ऐसे पहचाने गए शाखा कार्यालय उद्यम का मुख्य कार्यालय हुआ तो उसे रा.औ.व. संकेतांक 701 दिया जायेगा ।

(x) यदि कई डाक्टर एक ही जगह जहाँ परिसर के लिए अलग प्रबंध व्यवस्था नहीं है, पर चिकित्सा (practise) करते हैं, तो सभी डाक्टरों को अलग-अलग सूचीबद्ध किया जाएगा तथा उन्हें अलग-अलग उद्यम के रुप में माना जाएगा ।

(xi) जब एक मास्टर बूनकर अपने-अपने घर में उसके निर्देशन में काम करने वाले बुनकरों को सूत वितरित करता है, उन्हें उधार आदि की सुविधा देता है और बुने हुए कपड़ों के बदले मान्य दर पर भुगतान करता है तो उसे विनिर्माता माना जाता है । बिड़ि बनाने, फर्नीचर बनाने आदि में लगे मास्टर कारीगर, जो आर्डर प्राप्त करते हैं, कारीगरों (जो अपने घरों या अन्य कहीं भी काम कर सकते हैं) को कच्चा माल वितरित करते हैं और विनिर्माण सेवाओं के लिए प्रति नग दर या समय दर पर भुगतान करते हैं के मामले भी इसी प्रकार हैं । ऐसे सभी मामलों में, मास्टर बुनकर/कारीगर/उद्यमी विनिर्माण कार्यकलाप में जुड़ा हुआ माना जायेगा । मास्टर बुनकर के लिए या उसके संरक्षण में काम करने वाले व्यक्ति या तो अपनी इच्छा से उद्यमी होंगे अर्थात् स्वनियोजित या केवल मजूरी प्रदत्त कर्मचारी जो कि अपने काम के बदले प्रति नग दर पर या समय दर पर पारिश्रमिक पाते हैं । इसका निर्णय स्थिति का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके किया जा सकता है । केवल तब जब मास्टर कारीगर के लिए काम करने वाले व्यक्ति उत्पादन के वास्तविक या अवास्तविक साधनों से युक्त पाये जाते हैं और उनके पारिश्रमिक में श्रमिक प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त लाभ का हिस्सा भी शामिल है, तो उन्हें एक पृथक या स्वतंत्र संघटित पारिवारिक उद्यम माना जाना चाहिए ।

(xii) यद्यपि एक छात्रावास आदि के सहवासियों को एक एकल-सदस्य परिवारों के रुप में सूचीबद्ध किया जायेगा पर संस्थान को एक उद्यम माना जायेगा (बशर्ते कि यह एक उद्यम होने के मापदंड को पूरा करता हो) । संस्थान का नाम और इसके कार्यकलाप की प्रकृति को प्रथम पंक्ति में दर्ज किया जायेगा और सहवासियों को परवर्ती पंक्तियों में सूचीबद्ध किया जायेगा ।

(xiii) उत्पादक द्वारा स्वयं के कृषि उत्पाद को सीधे बेचना गैर-कृषि (अर्थात् व्यापार) कार्यकलाप नहीं माना जायेगा । इसी प्रकार उस व्यक्ति के मामले में किया जायेगा जो दूध के उत्पादन में लगा हुआ है और उसकी बिक्री करता है । तथापि, दरवाजे-दरवाजे जाकर दूध इकट्ठा करना और उसे बंचना एक व्यापार कार्यकलाप माना जायेगा ।

2.5a.9 निम्नलिखित कुछ प्रकार के उद्यम सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं शामिल किए जाएंगे :

(i) सर्वेक्षण व्याप्ति में आने वाले अनुभागों के अन्तर्गत (अर्थात् C, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, S) कुछ

रा.औ.व. संकेतांक सर्वेक्षण में नहीं शामिल किए गये हैं । सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत रा.औ.व. 2008 संकेतांकों की सूची के लिए अध्याय एक के पैरा 1.2.1 का संदर्भ लिया जाए ।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल सभी उद्यम सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रहेंगे ।

केन्द्र/राज्य सरकारों या अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं या स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं इत्यादि, द्वारा स्वाधिकृत या उनके द्वारा चलाए/प्रबंधन किए जाने वाले उद्यम, सरकार, पंचायत आदि द्वारा स्वायत निकायों जैसे विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड स्थापित और संस्थान जैसे स्कूल, पुस्तकालय आदि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम माने जायेंगे । ऐसे उद्यम, सहकारी समितियों को छोड़कर, जो सरकार, स्थानीय निकाय आदि तथा निजी निकाय दोनों की हिस्सेदारी से चलाये जाते हैं, को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम समझा जाएगा चाहे हिस्सेदारी की राशि सरकार, स्थानीय निकाय आदि की कुछ भी हो । ऐसे उद्यम जो एक एकल या निजी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा स्वाधिकृत/प्रबंधित हैं तथा जिनमें प्रबंधन या हिस्से की दृष्टि से सरकार, स्थानीय निकाय आदि की कोई हिस्सेदारी नहीं है, उन्हें निजी क्षेत्र उद्यम माना जाएगा सरकार, स्थानीय निकाय आदि द्वारा यदि किसी उद्यम को ऋण प्रदान किया गया हो, तो इससे वह उद्यम एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं माना जाएगा ।

(iii) सभी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को व्याप्ति से बाहर रखा गया है ।

(iv) फैक्टरी अधिनियम 1948 की धारा 2m(i) और 2m(ii) के अंतर्गत पंजीकृत सभी उद्यमें या बीड़ी और सिगरेट कामगार अधिनियम (रोजगार की शर्तें), 1966 को व्याप्ति से बाहर रखा गया है ।

(v) सहकारी समितियों को सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रखा गया है ।

(vi) ट्रेड यूनियनों, धार्मिक संगठनों, राजनैतिक संगठनों जैसे संगठनों के कार्यकलापों को सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रखा जाएगा ।

तथापि, धार्मिक संगठनों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप जैसे स्कूल, औषधालय, अस्पताल, अनाथालय, गेस्ट हाउस चलाना इत्यादि, को संगत कार्यकलाप जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल या सामाजिक कार्य आदि के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा बशर्ते कि उन सबका एक अलग अस्तित्व हो तथा उनमें कम से कम एक कर्मचारी पारिश्रमिक आधार पर कार्यशील हो । परंतु यदि सेवा किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बगैर प्रदान की जाती हो, तो उस कार्य को शामिल नहीं किया जाएगा, उदाहरण के लिए एक धार्मिक संगठन द्वारा चलाये जाने वाले एक औषधालय को नहीं शामिल किया जाएगा यदि उस औषधालय में कम से कम एक कर्मचारी भुगतान (पारिश्रमिक) आधार पर न हो । मंदिरों द्वारा दिए जाने वाले स्प्रसाद- या भोजन, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक संस्थानों में दिए जाने वाले लंगर, यद्यपि वे टोकन पैसा/दान के बदले दिए जाते हों, उद्यम कार्यकलाप नहीं माने जायेंगे ।

(vii) सरकारी/सरकारी-सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थानों को सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रखा गया है ।

(viii) एक परिवार जिसके पास सशुल्क अतिथियों के रहने और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, उसे होटल/रेस्तरां नहीं माना जाएगा ।

(ix) कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा चालित विभागीय कैंटीन मुख्य कार्यालय का ही एक भाग होगा और ऐसे कैंटीन सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए जायेंगे । तथापि, यदि वे निजी पार्टियों द्वारा ठीका आधार पर चलाये जाते हैं, तो उन्हें शामिल किया जायेगा ।

(x) फार्म उत्पाद, व्यापारिक पण्य, निर्मित माल इत्यादि का भंडारण करने वाले गोदाम जो उसके मालिक के हीं अधिकार में हों, को भंडारण और मालगोदाम उद्यम नहीं माना जाएगा । वाणिज्यिक बैंकों और अन्य प्रकार के उद्यमों में कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखे जाने हेतु लॉकर को भण्डारण और मालगोदाम उद्यम नहीं माना जाएगा ।

(xi) दाई, रसोइया, माली, मास्टरानी, बेबी सिटर, चौकीदार, पहरेदार, आदि के रुप में कार्य कर रहे लोग

सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रहेंगे । ऐसे कार्यकलाप सामान्यतः रा.औ.व. 2008 के अनुभाग T के संकेतांक 97 (नियोक्ता के रूप में परिवारों के कार्यकलाप; अपने निजी प्रयोग के लिए परिवार के अभिन्न वस्तुओं और सेवा उत्पादन कार्यकलाप) के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं । जैसा कि अध्याय एक में सूचित है, अनुभाग T को रा.प्र.स. 67वें दौर के व्याप्ति से बाहर रखा गया है । तथापि, ऐसी सेवायें यदि कुछ संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जाती हों, तो ऐसी संस्थाओं को उद्यम माना जाएगा ।

(xii) छात्रों के परिवार में एक निर्धारित राशि के बदले में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्व-कार्यरत नहीं माना जाएगा । तथापि, यदि वह एक स्थायी परिसर में कोचिंग केन्द्र चलाता है, तो उसे एक उद्यम चलाता हुआ माना जाएगा ।

अध्याय एक के पैरा 1.4.24 में वर्णित कार्यकलाप व्याप्ति का भी इस परिप्रेक्ष्य में संदर्भ लिया जाए ।

2.5a .10 खेड़ा समूह/उप खंड गठन वाले प्रतिदर्श ग्राम/खंड में, मकानों, परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों की सूची संख्या 1 और 2 के लिए खण्ड 5a और 5b के पृथक पृष्ठों में दर्ज की जायेगी । पहले अंश 1 के लिए सूचीकरण किया जायेगा । उसके बाद अंश 2 के लिए सूचीकरण एक पृथक पृष्ठ से आरंभ किया जायेगा । अंश संख्या 1 या 2 (खंड 5a और 5b के शीर्ष में मुद्रित) में से एक जो कि चयित अंश के उपयुक्त हो, खंड 5a और 5b के शीर्ष में छोड़ दिया जायेगा और दूसरे को काट दिया जायेगा ।

सर्वप्रथम खंड शीर्ष में अंश संख्या (1 या 2) सही-सही इंगित करें तत्पश्चात् जो लागू न हो उसे काट दें ।

खंड 5ए के विभिन्न कालमों को नीचे वर्णित किया गया है ।

2.5a.11 कालम (1) : मकान संख्या : खाली मकानों सहित सभी मकानों का सूचीकरण एक मकान संख्या देते हुए किया जायेगा । यदि उपलब्ध हो तो 2001/2011 जनसंख्या जनगणना मकान संख्या या स्थानीय पंचायत अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा दी गई संख्या का उपयोग किया जा सकता है 1 जिन मकानों की ऐसी कोई संख्या नहीं है या जहां मकान संख्यायें बिलकुल उपलब्ध नहीं हैं उन्हें 1 से आरम्भ करके एक भिन्न लगातार क्रम संख्या कोष्ठक में दी जायेगी । परन्तु जहां कहीं मकान संख्यायें उपलब्ध हों, भले ही चंद मकानों की ही, वहांउन मकानों की उपलब्ध वास्तविक संख्या को ही बिना कोष्ठक के दर्ज किया जायेगा । एक मकान से संबंधित सभी परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों का सूचीकरण करने के बाद दूसरे मकान का सूचीकरण किया जायेगा । यदि एक मकान का पूर्णरुपेण गैर-रिहायशी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है या वह खाली है तो जिस उद्देश्य के लिए वह मकान रखा गया है उसे पंक्ति के ऊपर लिख दिया जायेगा जैसे - मंदिर, औषधालय, खाली आदि । तथापि किसी गैर-कृषि उद्यम वाले गैर-आवासीय मकानों के लिए उद्यम का विवरण दर्ज किया जायेगा । एक वृक्ष या पुल के नीचे (अर्थात् बिना मकान के) रहने वाले एक परिवार के लिए इस कालम में एक चिन्ह '-' दे दिया जाय ।

2.5a.12 कालम (2) : परिवार क्रम संख्या **:** कालम (1) में सूचीबद्ध मकान या एक स्थायी स्थान (उदा : पेड़ के नीचे/पुल/खुले स्थान आदि) में सामान्यतया रहने वाले परिवार(रों) को कालम (2) में संख्यांकित किया जायेगा । इस कालम में सभी परिवारों (अस्थायी रुप से अनुपस्थित परिवारों सहित) को 1 से आरम्भ करके एक लगातार क्रम संख्या दी जायेगी । सूचीकृत परिवारों की पंक्तियों के सामने ही परिवार की क्रम संख्या दी जायेगी । एक विशेष परिवार द्वारा चलाये गये गै.कृ.उद्यम को परिवार की पंक्ति के ठीक नीचे सूचीबद्ध किया जायेगा । ऐसे प्रत्येक उद्यम के लिए अलग पंक्ति का उपयोग किया जायेगा और उद्यम के लिए क्रम संख्या कालम (16) में दी जायेगी । होस्टलों आदि में रहने वाले और एकल परिवार बनाने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक परिवार क्रम संख्या देते हुए भिन्न पंक्ति में सूचीबद्ध किया जाएगा । अंश 1 और अंश 2 के लिए कालम (2) में 1 से आरम्भ करके एक लगातार क्रम संख्या अलग-अलग दी जाएगी । **स्थायी परिसर वाले उद्यमों, खाली पड़े मकानों, गैर-आवासीय भवनों आदि के लिए रखी गई पंक्तियों के लिए इस कालम को खाली छोड़ दिया जायेगा।**

2.5a.13 कालम (3) : उद्यम/स्वामी/प्रचालक/परिवार के मुखिया का नाम और पता : कालम (2) में क्रम संख्या वाले एक परिवार के लिए, मुखिया का नाम यहां दर्ज किया जायेगा । उद्यम के लिए, उद्यम/स्वामी/

प्रचालक आदि का नाम इस कालम में दर्ज किया जायेगा । यदि एक उद्यम अपना एक पृथक नाम रखता है तभी उसे दर्ज किया जायेगा, अन्यथा स्वामी का नाम दर्ज किया जायेगा । एक उद्यम, जिसका स्वामी किसी भिन्न स्थान पर रहता है, के लिए स्वामी/प्रचालक का नाम और पता दर्ज किया जायेगा । एक संस्थागत उद्यम के लिए उद्यम का नाम दर्ज किया जाएगा । सभी मामलों में, यदि उद्यम का पृथक नाम है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी ।

2.5a.14 कालम (4) : कार्यकलाप के विवरण : इस कालम में उद्यम के कार्यकलाप को संक्षिप्त रूप में शब्दों में वर्णित किया जायेगा, जैसे कि ब्रेड बनाना, काफी क्यूरिंग, किराना, कोचिंग, चाय की दुकान, दवाखाना, रेस्तराँ आदि ।

2.5a.15 कालम (5) : विस्तृत समूह संकेतांक : प्रत्येक गैर-कृषि उद्यमों को उनके कार्य करने के प्रकार के आधार पर विस्तृत समूह संकेतांक दिया जायेगा । संकेतांक निम्नलिखित हैं : विनिर्माण-1, व्यापार-2, अन्य सेवायें-3, शेष-4 । सर्वेक्षण की व्याप्ति के अन्तर्गत नहीं आने वाले सभी कार्यकलापों को संकेतांक 4 दिया जायेगा । व्याप्ति के अन्तर्गत नहीं वाले कार्यकलाप के लिए अध्याय एक के पैरा 1.2.1 और 1.4.24 का संदर्भ लिया जाए ।

कालम (5) में संकेतांक 4 वाले उद्यमों के लिए शेष कालमों को भरने की आवश्यकता नहीं है ।

2.5a.16 कालम (6)-(7): कालम 5 में 1-3 के लिए :

2.5a.16.1 कालम (6) : स्वामित्व संकेतांक के प्रकार : विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं (अर्थात् कालम 5 में संकेतांक 1-3 के लिए) के सभी गैर-कृषि उद्यमों के लिए स्वामित्व संकेतांक के प्रकार का इस कालम में दर्ज किया जायेगा । संकेतांक निम्नलिखित हैं : मालिकाना/साझेदारी-1, सरकारी/पी.एस.यू.-2, लिमिटेड कम्पनियाँ-3, सहकारी समितियाँ-4, अन्य-5 । मालिकाना/साझेदारी, सरकारी/पी.एस.यू, लिमिटेड कम्पनियाँ, सहकारी समितियाँ की परिभाषा अध्याय एक के पैरा 1.4.22 में वर्णित है ।

2.5a.16.2 कालम (7) : पंजीकरण संकेतांक : यदि उद्यम 1948, फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत अनुभाग 2m(i) और 2m(ii) या बिड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तों) अधिनियम 1966 में पंजीकृत हैं तो संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा । उन उद्यमों के लिए जिनका पंजीकरण नहीं है कि प्रविष्टि 2 होगी ।

2.5a.17 कालम (8) : कालम 6 में 1 एवं 5 और कालम 7 में 2 के लिए 2/3/4/5 अंकीय रा.औ.व.-2008 संकेतांक : उद्यम के कार्यकलाप से संबंधित रा.औ.व.-2008 संकेतांक को यहाँ दर्ज किया जायेगा । द्वितीय चरण स्तर के लिए ढांचा तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जायेगा । सर्वेक्षण व्याप्ति के अन्तर्गत उद्यमों के लिए रा.औ.व.-2008 संकेतांक निम्न होंगे :

दर्ज किए जाने वाले संकेतांक	**रा.औ.व. 2008 संकेतांक**
2-अंकीय	10 – 33, 37 – 39, 45, 47, 50, 52 – 63, 65, 68, 69, 70 – 75, 78 – 82, 85 – 93, 95, 96
3-अंकीय	461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 662, 663, 771, 772, 773, 941
4-अंकीय	4922, 4923, 6491, 6499, 6612, 6619, 9491 (व्यक्तिगत), 9499
5-अंकीय	01632, 49211, 49219, 64300, 64309, 64920,

64929

मिश्रित कार्यकलाप या समान कार्यकलाप दो अलग स्थान पर किया जा रहा है के लिए यदि लेखा खाता भिन्न कार्यकलापों के लिए अलग रखा गया है, तो प्रत्येक कार्यकलाप को पृथक सूचीकृत किया जायेगा । अन्यथा, उन्हें एक प्रधान कार्यकलाप के अन्तर्गत सूचीकृत किया जायेगा अर्थात् प्रधान आय/टर्नओवर/रोजगार की अधिमानता पर एक चुना जायेगा ।

2.5a.18 कालम (9) : पात्रता संकेतांक : संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा यदि उद्यम ने पिछले 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिनों (मौसमी उद्यमों और ख.स.स. के लिए 15 दिन) संचालन किया है । उन उद्यमों के लिए जिन्होंने 30 दिनों से कम संचालन किया (मौसमी उद्यमों और ख.स.स. के लिए 15 दिन) तो इस कालम में संकेतांक 2 दर्ज किया जायेगा ।

2.5a.19 कालम (10) : कालम 9 में संकेतांक 1 के लिए पात्र उद्यम संख्या : यह केवल सर्वेक्षण व्याप्ति के अन्तर्गत पात्र उद्यमों से संबंधित है । यदि कालम (9) में प्रविष्टि 1 है, तो कालम (10) में पहले एक सही चिन्ह (√) इस कालम में दिया जायेगा । उसके पश्चात इस कालम में सभी सही चिन्हों को एक प्रारंभ करके एक लगातार क्रम संख्या दी जायेगी ।

2.5a.20 कालम (11)-(12) : कर्मियों की संख्या :

2.5a.20.1 कालम (11) : कुल : बारहमासी और अनियत उद्यमों के लिए संदर्भ वर्ष के दौरान एक कार्य दिवस में और मौसमी उद्यमों के लिए संदर्भ वर्ष के पिछले कार्यरत मौसम के दौरान सामान्यतया कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या इस कालम में दर्ज की जायेगी । इसमें पारिवारिक कर्मचारी और किराये के कर्मचारी दोनों शामिल होने चाहिए । कर्मचारियों की सभी श्रेणियों, पर्यवेक्षी और प्राथमिक सहित, पर विचार किया जायेगा । कुल में अन्य कर्मी, कार्यरत मालिक और प्रशिक्षु (प्रदत्त या अप्रदत्त), अप्रदत्त सहायक और अंशकालिक कर्मचारी भी, जब तक कि वे स्पष्टतया नियमित आधार पर कार्यरत हैं, शामिल होने चाहिए । एक कर्मचारी का तात्पर्य यह नहीं है कि वही एक व्यक्ति लगातार कार्यरत है, यह केवल एक पद को इंगित करता है । दो अंशकालिक कर्मचारियों को 2 गिना जायेगा न कि 1 । अंशकालिक कर्मचारी वे हैं जो उद्यम के सामान्य कार्य घंटों की अवधि के आधे से कम या उसके बराबर अवधि के लिए स्पष्टतया नियमित आधार पर कार्य करते हैं । पारियों में चलने वाले उद्यमों के लिए, कालम (11) और (12) में प्रविष्टियां करने के उद्देश्य से सभी पारियों के कर्मचारियों को मिलाकर (अर्थात् कर्मचारियों की संख्याओं को जोड़ दिया जायेगा) विचार किया जायेगा । संदर्भ वर्ष के दौरान एक कार्य दिवस में कर्मचारियों की औसत संख्या की प्रविष्टि कुल और किराये के कर्मचारी दोनों के लिए क्रमशः कालम (11) और (12) में की जायेगी ।

2.5a.20.2 कालम (12) : किराये के : उद्यम में किराये के कर्मी, जो सामान्यतः स्पष्ट रुप से नियमित आधार पर (अर्थात् प्रचालन अवधि के अधिकांश दिनों के लिए) नियोजित हैं, की संख्या इस कालम में दर्ज की जायेगी । यदि कोई भी किराये का कर्मचारी नहीं है तो यहां "0" दर्ज किया जायेगा । प्रदत्त या अप्रदत्त प्रशिक्षुओं को किराये के कर्मी माना जायेगा । परिवारों के बीच अदला-बदली किये गये अप्रदत्त सहायक और श्रमिकों को पारिवारिक कर्मी माना जायेगा । उद्यम में कार्यरत एक प्रदत्त पारिवारिक सदस्य/नौकर/आवासी कर्मी किराये का कर्मी माना जायेगा ।

कर्मचारियों की संख्या, कुल और किराये के, संबंधी सूचना ठीक-ठीक दर्ज की जाय जिससे उद्यम श्रेणी अनुसार उद्यमों के वर्गीकरण में गलती से बचा जा सके ।

2.5a.21 कालम (13) : उद्यम प्ररुप संकेतांक : प्रत्येक योग्य विनिर्माण उद्यम को कालम (11) और (12) में की गयी प्रविष्टि के आधार पर उद्यम प्ररुप संकेतांक दिया जायेगा । संकेतांक निम्नलिखित है :-

अधिष्ठान अर्थात्, कालम (12) में धनात्मक प्रविष्टि वाले उद्यम - 1

स्व.का.उ. अर्थात् कालम (12) में 0 प्रविष्टि वाले उद्यम - 2

2.5a.22 कालम (14) : द्वि.च.स्त. संख्या (1 से 19 में से कोई भी) : जैसा कि अध्याय एक में परिभाषित किया गया है, एक प्र.च.इ. के प्रत्येक अंश 1 व 2 में अधिकतम उन्नीस द्वितीय चरण स्तरों (द्वि.च.स्त.) का गठन किया जाएगा । द्वि.च.स्त. का गठन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

रा.औ.व. 2008 संकेतांक	उद्यम प्रकार संकेतांक	द्वि.च.स्त. संख्या	विवरण
प्रतिष्ठान			
विनिर्माण			
10 – 12	2	1	खाद्य उत्पाद, पेय और तम्बाकू उत्पाद
01632, 13 – 15	2	2	कपास की ओटाई, सफाई, बेलिंग, वस्त्र पहनावा, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद
16 – 18, 31, 32	2	3	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण आदि
19 – 25, 27, 28, 33	2	4	पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, औषधीय, रबड़, प्लास्टिक, धातु, धातु उत्पाद, मशीन और उपकरण आदि
26, 29, 30	2	5	अन्य विनिर्माण कार्यकलाप
व्यापार			
461	2	6	कमीशन ऐजेन्ट
45	2	7	व्यापार और मोटर वाहनों और मोटर साईकिलों की मरम्मत
462, 463, 464, 465, 466, 469	2	8	अन्य थोक व्यापार
47	2	9	अन्य खुदरा व्यापार
अन्य सेवायें			
55, 56	2	10	आवास और खाद्य सेवा कार्यकलापें
49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52, 53, 58 – 63	2	11	परिवहन, भण्डारण, सूचना और संचार
64300, 64309 (SHG), 6491, 64920, 64929 (activity of money lenders), 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663	2	12	वित्तीय और बीमा कार्यकलाप
68, 69, 70 – 75, 771, 772, 773, 78 – 82	2	13	स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी भाड़ा और पट्टे के कार्यकलाप
85	2	14	शिक्षा
86 – 88	2	15	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य
37 – 39, 90 – 93, 941, 9491, 9499, 95, 96	2	16	अन्य व्यक्तिगत सेवाएं
स्व-कार्यरत उद्यमें			
01632, 10 – 33	1	17	विनिर्माण
45 – 47	1	18	व्यापार
37 – 39, 49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52 – 63, 64300, 64309, 6491, 64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663, 68, 69, 70 – 75, 771, 772, 773, 78 – 82, 85 – 93, 941, 9491, 9499, 95, 96	1	19	अन्य सेवायें

2.5b. खण्ड 5b : सर्वेक्षण व्याप्ति के अंतर्गत गैर-कृषि उद्यमों का चयन (अंश 1/2)

2.5b.0 इस खण्ड में केवल सर्वेक्षण की व्याप्ति के अंतर्गत उद्यमों पर विचार किया जाएगा । खण्ड 5a से उद्यम क्रम संख्या (कालम 10) और तदनुरूप द्वि.च.स्त. संख्या (कालम 14) का नकल करने के बाद उद्यमों (अर्थात् द्वि.च.स्त. 1-19) के लिए ढांचे का गठन और प्रतिदर्श उद्यमों का चयन यहां पूर्ण होगा ।

खंड 5b के शीर्ष में पहले अंश संख्या (1 या 2) को सही और जो लागू नहीं है उसे काट चिह्नित करें ।

2.5b.1 कॉलम (1), (2) और (3) : इस कॉलमों के लिए प्रविष्टियां खण्ड 5a के कालम 1, 10 और 14 से नकल करके की जाएंगी । प्रविष्टियों का नकल सही-सही हो इस बात का ध्यान रखा जाए ।

2.5b.2 कालम (4)-(22) : अनु. 2.34 : प्रतिचयन क्रम संख्या और प्रतिदर्श उद्यम संख्या : द्वि.च.स्त. 1 से द्वि.च.स्त. 19 : कॉलम (3) में द्वि.च.स्त. संख्या 1 से 19 वाले उद्यमों को कॉलम (4) से (22) (खानों के बायीं ओर से) जैसा भी मामला हो, में अलग-अलग सही (√) चिन्ह दिया जाएगा । इसके बाद कॉलम (4) से (22) प्रत्येक में दिखने वाले सभी सही चिन्हों को 1 से आरम्भ करके एक भिन्न लगातार क्रम संख्या दी जाएगी । प्रत्येक द्वि.च.स्त. के अधीन ढांचें में उद्यमों की कुल संख्या कॉलम (4) से (22) में दिखने वाले सही चिन्हों की संख्या (अर्थात् उच्चतम क्रम संख्या) होगी और इन मूल्यों को सम्बन्धित कॉलमों में "E" के सामने दर्ज किया जाएगा । कॉलम (4) से (22) में "E" के कुल मूल्य खंड 5b, खंड 5a/कॉलम 2, कॉलम 10 में अंतिम/उच्चतम क्रम संख्या से मेल खानी चाहिए ।

प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए चुने जाने वाले (यदि कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति करने के बाद) उद्यमों की संख्या 'e' के सामने दर्ज की जाएगी । प्रत्येक द्वि.च.स्त. से प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा उद्यमों की आवश्यक संख्या निकाल ली जाएगी और प्रतिदर्श उद्यम संख्या दर्ज की जाएगी (खानों के दायीं ओर से) । *चयित उद्यमों की प्रतिचयन क्रम संख्याओं को कॉलम (4) से (22) में गोल घेर दिया जाए ।*

2.5b.4 खण्ड 5a और 5b के कुछ कालमों को भरने और उद्यमों के चयन के विस्तृत ब्यौरे दर्शाता एक उदाहरण इस अध्याय के अंत में दिया गया है ।

2.6a खंड 6a : अंश 9 में उद्यमों के विवरण : अंश 9 से संबंधित प्रविष्टियों के लिए खंड 4 आधार होगा । द्वि.च.स्त. संख्या 1 से 19 के लिए उद्यम संख्या की गिनती खंड 4 के कालम (14) से की जायेगी और उन्हें खंड 4 में अंश 9 के अनुरुपी द्वि.च.स्त. में दर्ज किया जायेगा । कालम (5) में प्रविष्टि कालम (4) के समान होगी क्योंकि खंड 4 में सूचीकृत सभी बड़े उद्यमों को सर्वेक्षित किया जायेगा । सर्वेक्षित उद्यमों की कुल संख्या कालम (8) में दर्ज की जाएगी । यह देखा जाए कि कालम (9) = कालम (5) - कालम (8)। 'सभी' वाली पंक्ति सम्बंधित कालमों का कुल योग दर्शायेंगी ।

2.6b खंड 6b : उद्यमों के प्रतिचयन के विवरण (अंश 1 एवं 2 के लिए) : इस खंड में अंश 1 और 2 के लिए उद्यमों के प्रतिचयन के विवरण दर्ज किये जायेंगे

2.6b.1 कालम (4) से (9) : उद्यमों की संख्या : प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए ढांचे में उद्यमों की कुल संख्या अर्थात्, कालम (4) की प्रविष्टियाँ, खण्ड 5b के क्रमशः कालम (4) से (22) में दर्ज सर्वोच्च प्रतिचयन क्रम संख्यायें हैं । ये सर्वोच्च प्रविष्टियाँ खंड 5b के कालम (4) से (22) के शीर्षकों में परिलक्षित संकेत 'E' में भी दर्ज की जानी हैं । इन्हें खण्ड 6b के कालम 4 में प्रत्येक अंश के लिए दर्ज किया जाए । सर्वेक्षण के लिए चुने जानेवाले उद्यमों की संख्या कालम (5) में दर्ज की जायेंगी । ये संख्याएं खण्ड 5b के कालम (4) से (22) के शीर्षकों में 'e' के सामने भी दर्ज की जानी हैं । कालम (6) और (7) अनुसूची 2.34 के खण्ड 1 की मद 18 में दर्ज सर्वेक्षण संकेतांक के आधार पर भरे जायेंगे । सर्वेक्षण संकेतांक 1 और 2 से भरी हुई अनुसूची 2.34 की संख्या क्रमशः कालम (6) और (7) में दर्ज की जाएंगी । यह देखा जाए कि (i) कालम (8) = कालम (6) +

कालम (7) और (ii) कालम (9) = कालम (5) - कालम (8)। 'सभी' वाली पंक्ति सम्बंधित कालमों का कुल योग दर्शायेंगी ।

2.7 खंड 7 : निकटतम सुविधा, कुछ सुख-सुविधाओं की उपलब्धता से ग्राम की दूरी और नरेगा कार्य में अंशग्रहण : इस खंड में, ग्रामीण प्र.च.इ. में कुछ विशिष्ट सुविधाओं जैसे संचार, शिक्षा संस्थायें, स्वास्थ्य संस्थायें, बैंक, क्रेडिट सोसाईटी, निकासी, नरेगा कार्य में अंशग्रहण आदि की उपलब्धता पर सूचना एकत्रित करना इसका ध्येय है । *खेड़ा समूह गठन के मामले में, सूचना सम्पूर्ण प्रतिदर्श प्र.च.इ. के संबंध में एकत्रित की जायेगी ।*

यदि एक प्र.च.इ. के आवासियों को साधारणतः एक सुविधा उपलब्ध है तो उसे सुविधा के रूप में माना जायेगा । आवश्यक सूचना ग्राम धिकारियों और/या अन्य जानकार व्यक्तियों से मिलकर प्राप्त की जायेगी । एक विशिष्ट सुविधा की उपलब्धता के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है के मामले में निकटतम ब्लॉक विकास अधिकारी या अन्य संबंधित ऐजन्सियों से मिलकर आवश्यक सूचना एकत्रित की जायेगी ।

यह खंड ग्रामीण बसा हुआ प्र.च.इ. के लिए भरा जायेगा और प्र.च.इ.याँ बसा हुआ नहीं या शून्य मामला के लिए खाली छोड़ दिया जायेगा ।

यह खंड परिवारों के सूचीकरण के बाद भरा जाये ।

2.7.1 मद 1 - 22 : कालम(3) : दूरी संकेतांक :

इस कालम की मद 1 से 22 में दूरी संकेतांक में दर्ज की जायेगी । ग्रामीणों को निकटतम उपलब्ध सुविधा से दूरी पर विचार किया जायेगा । दूरी की माप ग्राम के भौगौलिक केन्द्र से की जायेगी । तथापि, यदि एक विशेष सुविधा ग्राम के भीतर उपलब्ध है तो दूरी संकेतांक हमेशा 1 होगा, चाहे उसकी दूरी ग्राम के केंद्र से कितनी भी हों । संकेतांक 2 या 3 में से एक तब लागू होगा, जब सुविधा ग्राम से बाहर एक स्थान पर स्थिति है । यदि सुविधा दो भिन्न स्थानों पर उपलब्ध है तो दूरी संकेतांक दर्ज करने के लिए निकटतम सुविधा पर विचार किया जायेगा । इस सम्बंध में, ध्यान दें कि यदि किसी एक स्थान पर एक से अधिक सुविधायें संयुक्त रुप से उपलब्ध हैं और यदि वह स्थान विचारार्थ सभी सुविधाओं के सम्बंध में ग्राम से निकटतम है तो सभी सुविधाओं के लिए उस स्थान का संकेतांक दर्ज किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि निकटतम माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक और मिडिल स्तर की शिक्षा भी उपलब्ध है और निकटतम प्राथमिक विद्यालय या मिडिल विद्यालय माध्यमिक विद्यालय की अपेक्षा अधिक दूरी पर है तो माध्यमिक विद्यालय की दूरी का संकेतांक ही प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी दिया जाना चाहिए । दूरियों के संकेतांक निम्नलिखित हैं :

ग्राम के भीतर	1
ग्राम से बाहर :	
5 कि.मी. से कम	2
5 कि.मी. से अधिक	3

इस खंड की अधिकांश मदें स्वतः स्पष्ट हैं । तथापि, कुछ पदों की व्याख्या नीचे की गई है ।

2.7.1.1 मद 1-3 : ये मदें स्वतः स्पष्ट हैं ।

2.7.1.2 मद 4 : पक्की सड़क : इनमें पक्की सामग्री जैसे डामर, सीमेंट या कंकरीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी सड़कें शामिल की जायेंगी ।

2.7.1.3 मद 5 : प्राथमिक स्तर कक्षा वाले विद्यालय : साधारणतया, चौथी कक्षा तक के स्तर को प्राथमिक शिक्षा माना गया है । तथापि, कुछ राज्यों में कक्षा पाँच स्तर की शिक्षा को भी 'प्राथमिक' स्तर का माना गया है । इस सर्वेक्षण हेतु, स्थानीय व्यवहार के अनुसार कक्षा चार या पांच जो लागू हो उसे ही प्राथमिक स्तर का माना जायेगा । जो संस्थायें इस प्रकार की शिक्षा की सुविधायें प्रदान कर रही है, इस मद के अंतर्गत आयेंगी ।

2.7.1.4 मद 6 : माध्यमिक स्तर कक्षा वाले विद्यालय : माध्यमिक स्तर का अर्थ है कक्षा दस तक की शिक्षा । माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल को इस मद के समक्ष प्रविष्टि के लिए लिया जायेगा ।

2.7.1.5 मद 7 : उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ जूनियर कालेज : उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10+2 तक की शिक्षा प्रदान करते हैं । कुछ स्थानों में इन्हें जूनियर कालेज के नाम से भी जाना जाता है । कक्षा 10+2 तक की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को इस मद के अंतर्गत लिया जायेगा ।

2.7.1.6 मद 8 : स्वास्थ्य उप-केन्द्र/ औषधालय : एक स्वास्थ्य उप केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की मुख्य बाह्य सम्पर्क बिन्दु है । एक उप-केन्द्र के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र की लगभग 5,000 जनसंख्या और पर्वतीय/ जनजातीय क्षेत्र की 3000 जनसंख्या आती है । यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होती है और सरकार द्वारा चलाई जाती है । इसमें दो बहुप्रयोजन स्वास्थ्य कर्मचारी - एक पुरुष और एक महिला - होते हैं । एक उप केन्द्र में सामान्यतः अंतरंग - रोगी चिकित्सा की सुविधा नहीं होती है । औषधालय एक परामर्शी स्थान/कक्ष है जहाँ, साधारणतया, अंतरंग-रोगी चिकित्सा की सुविधा नहीं होती है ।

2.7.1.7 मद 9 : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : यह ग्रामीण समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच का प्रथम सम्पर्क बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) है । इसमें एक चिकित्सा अधिकारी और अन्य अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी होते हैं । यह सरकार द्वारा चलाई जाती है और सामान्यतः इसमें अंतरंग-रोगी और बाह्य-रोगी चिकित्सा सुविधायें होती हैं । एक प्रा. स्वा. केन्द्र के अधीन 6 से अधिक उप केन्द्र होते हैं और यह मैदानी क्षेत्र की लगभग 30,000 तथा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र की 20,000 जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान उपलब्ध करता है ।

2.7.1.8 मद 10 : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रें मैदानी क्षेत्र की 1.2 लाख जनसंख्या और पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र की 80,000 जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान करती हैं । रोगियों को परामर्श के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भेजा जाता है । इसमें चिकित्सा विशेषज्ञ और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी होते हैं तथा इसमें अंतरंग रोगी और बाह्य-रोगियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होती हैं ।

2.7.1.9 मद 11 : सरकारी अस्पताल : चिकित्सा संस्थायें जहाँ बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा के लिए अंतरंग रोगी के रुप में भर्ती होने की व्यवस्था है, अस्पताल कहलाती हैं । केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों को इस मद के अंतर्गत लिया जायेगा ।

2.7.1.10 मद 12 : निजी चिकित्सालय/ चिकित्सक : निजी चिकित्सालय गैर-सरकारी चिकित्सकों का परामर्शी स्थान/कक्ष होता है । चिकित्सक वे हैं जिनके पास चिकित्सा की डिग्री/डिप्लोमा होती है और जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं द्वारा पंजीकृत भी होते हैं । ये चिकित्सक किसी भी चिकित्सा प्रणाली, जैसे ऐलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वैदिक, यूनानी -- को अपना सकते हैं ।

2.7.1.11 मद 13 : दवा की दुकान : किसी भी चिकित्सा प्रणाली अर्थात् ऐलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वैदिक या यूनानी की दवाओं को बेचने वाली एक दुकान दवा की दुकान मानी जायेगी ।

2.7.1.12 मद 14 : आंगनवाड़ी केन्द्र(आई.सी.डी.एस.) : एकीकृत बाल विकास सेवा योजना छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तन्यदा माताओं के लिए स्वास्थ्य और पोषकता प्रदान करने वाला प्राथमिक सरकारी कार्यक्रम है । ये सेवाएं समुदान-आधारित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं ।

2.7.1.13 मद 15 : डाकघर : ये मद स्वतः स्पष्ट हैं ।

2.7.1.14 मद 16 : उचित मूल्य दुकान : उचित मूल्य दुकान वह दुकान है जो कुछ आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित मूल्य पर बेचता है । इसका स्वामित्व सरकार, स्थानीय स्व-शासन, एक सरकारी उपक्रम, एक फर्म के मालिक, सहकारी या निजी व्यक्तियों (अकेले या संयुक्त रुप से) या अन्य निकायों जैसे क्लब, न्यास आदि के हाथ में हो सकता है ।

2.7.1.15 मद 17 : सहकारी उधार सोसाइटी : सहकारी उधार सोसाइटी एक सोसाइटी हैं जिसका गठन कुछ लोगों (सोसाइटी के सदस्यों) के सहयोग से सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है । निधि की व्यवस्था सदस्यों के अंशदान/निवेश द्वारा होता है और लाभ सदस्यों के बीच बांट दिया जाता है । यहां सहकारी बैंकों पर भी विचार किया जाएगा ।

2.7.1.16 मद 18 : वाणिज्यिक बैंक : इसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक इसके सहयोगी बैंको सहित शामिल हैं । यहां अन्य सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंकों को छोड़कर, पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

2.7.1.17 मद 19 : पी.सी.ओ. : तारघर/सार्वजनिक टेलीफोन घर (पी.सी.ओ.)/ई.मेल केन्द्र में से जो ग्राम से सबसे निकट हो उसकी दूरी इस मद में संकेतांक में दर्ज की जायेगी । एक सार्वजनिक टेलीफोन घर या ई-मेल केन्द्र वह है, जिसका उपयोग ग्रामीण शुल्क देकर या निःशुल्क कर सकते हैं । ई-मेल इलैक्ट्रानिक डाक है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेटवर्क (इन्टरनेट) द्वारा भेजा जाता है ।

2.7.1.18 मद 20 : पशुचिकित्सा अस्पताल/औषधालय : एक पशुचिकित्सा अस्पताल/औषधालय में पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होती है ।

2.7.1.19 मद 21 : उर्वरक/कीटनाशक दुकान : इनमें उर्वरक और/या कीटनाशकों की बिक्री होती है ।

2.7.1.20 मद 22 : कृषि उत्पाद बाजार/ग्रामीण प्राथमिक बाजार : इस कोटि में आवधिक नियंत्रित/नियंत्रित बाजारों से जुड़े बाजार और स्थानीय निकायों अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के स्वामित्वाधीन बाजार, जिन्हें हाट, पैंथ और शैन्डी आदि के नाम से जाना जाता है, शामिल होंगे ।

2.7.2 मद 23-25 : कालम (3) : ग्राम में सुख-साधनों की उपलब्धता (संकेतांक) :

2.7.2.1 मद 23 : पेय जल का मुख्य स्रोत : ग्राम में रहने वालों के पेय जल का मुख्य स्रोत पहचाना जाएगा और उसे संकेतांकों में यहां दर्ज किया जाएगा । संकेतांक हैं :

मुख्य स्रोत	**संकेतांक**
बोतलबंद जल	01
नल	02
नलकूप/चापाकल	03
कुआं :	
संरक्षित	04
.....	
असंरक्षित	05
.....	
हौज/तालाब(पीने के लिए सुरक्षित)	06
अन्य हौज/तालाब	07
नदी/नहर/झील	08
झरना	10
संग्रहित वर्षा जल	11
अन्य	19

2.7.2.2 मद 24 : जल निकास प्रणाली का प्रकार : सूचना संकेतांकों में दर्ज होगी ।

संकेतांक हैं :

जल निकास प्रणाली का प्रकार	**संकेतांक**

भूमिगत 1
ढका पक्का 2
खुला पक्का 3
खुला कच्चा 4
जल-निकास नहीं 5

2.7.2.3 मद 25 : विद्युत् उपलब्धता (संकेतांक) : यह सूचना संकेतांक में दर्ज दर्ज की जाएगी ।

बिजली का कनेक्शन	**संकेतांक**
हां :	
कनेक्ट किये गये परिवारों का प्रतिशत (p)	
$p < 25\%$	1
$25\% \leq p < 50\%$	2
$p \geq 50\%$	3
नहीं	4

यदि कोई परिवार बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो संकेतांक 4 दिया जाएगा ।

2.8.3 मद 26 : क्या ग्रामीणों ने पिछले 365 दिनों के दौरान नरेगा कार्यक्रम में भाग लिया : यह ज्ञात किया जायेगा कि क्या ग्रामीणों ने पिछले 365 दिनों के दौरान नरेगा कार्यक्रम में भाग लिया या नहीं । भागीदारी की स्थिति को यहां दर्ज किया जायेगा । यह आवश्यक नहीं कि भागीदारी ग्राम के भीतर ही हो, यह आसपास के अन्य ग्रामों में भी की जा सकती है । यदि उत्तर हां है तो संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा अन्यथा संकेतांक 2 होगा ।

2.7.4 मद 27 : सूचक संकेतांक : खंड 7 के लिए सूचनायें ग्राम के एक या अधिक जानकार व्यक्ति(यों) से एकत्रित की जायेगी । ऐसी एकत्रित सूचनाओं के स्रोत को इस मद में दर्ज किया जायेगा । एक से अधिक स्रोत के मामलों में, संकेतांक उस सूचक से संबंधित होगा जिससे अधिकतर सूचनायें एकत्रित की गईं । संकेतांक हैं :

सरपंच (पुरुष) 1
सरपंच (महिला) 2
अन्य पंचायत - सदस्य 3
पटवारी/ग्राम सेवक 4
विद्यालय - अध्यापक 5
स्वास्थ्यकर्मी 6
अन्य 9

2.8 खण्ड 8 : क्षेत्र संकार्य के विवरण : इस खंड में क्षेत्र संकार्य के विवरण दर्ज किये जायेंगे । अनुसूची 0.0 पर पूछताछ करने में लगे कुल समय को दर्ज करते समय (अर्थात् इस खंड की क्रम सं. 4, कालम 3), इसका ध्यान रखा जाये कि प्रतिदर्श ग्राम में जाने और वहां से वापस आने में लगे समय पर इस मद में प्रविष्टि हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दूसरे शब्दों में, प्रतिदर्श ग्राम/खंड की सीमाओं की पहचान, खेड़ा समूह/उप-खंड गठन, परिवारों का सूचीकरण, द्वितीय-चरण स्तर गठन,परिवारों का चयन और अन्य सभी खंडों को भरने में लगे कुल समय को घंटों में दर्ज किया जाये । अन्य सभी मद स्वतः स्पष्ट हैं ।

2.9 खण्ड 9 : अन्वेषक/सहायक अधीक्षक अधिकारी द्वारा अभ्युक्तियां : अन्वेषक/सहायक अधीक्षक अधिकारी अनुसूची में किसी असामान्य स्थिति या प्रविष्टि पर अपनी अभ्युक्तियां यहां दर्ज कर सकते हैं ।

2.10 खण्ड 10 : अन्य पर्यवेक्षी(यों) अधिकारी द्वारा टिप्पणियां : इस अनुसूची से सम्बंधित कार्य का निरीक्षण करने वाले पर्यवेक्षी अधिकारी अपनी टिप्पणियां यहां दर्ज कर सकते हैं ।

2.11 प्रतिदर्श उद्यमों का प्रतिस्थापन, उद्यमों का गलत वर्गीकरण और यादृच्छिक संख्यायें

2.11.1 उद्यम का प्रतिस्थापन : यदि किसी कारणवश और यादृच्छिक संख्याएं किसी एक प्रतिदर्श उद्यम का सर्वेक्षण न किया जा सके तो उसे उसी द्वि.च.स्त. की अगली उच्च प्रतिचयन क्रमसंख्या वाले से (बशर्ते कि वह पहले न चुना गया हो) प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा । एक द्वि.च.स्त. की उच्चतम प्रतिदर्श क्रम संख्या वाले प्रतिदर्श का प्रतिस्थापी उसी द्वि च स्त की निम्नतम प्रतिदर्श क्रम संख्या वाला होगा । यदि प्रतिस्थापित उद्यम "आहत" हो जाय *तो उसे इसी विधि से किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा । यदि यह उद्यम भी "आहत" होने के कारण बाहर हो जाता है तो फिर प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, इस बात का ध्यान रहे कि प्रत्येक अंश 1 और 2 के भीतर प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए हमेशा कम से कम एक प्रतिदर्श उद्यम का सर्वेक्षण किया जाना है । दूसरे शब्दों में प्रत्येक प्र.च.इ. × अंश × द्वि.च.स्त. के लिए यदि* $E>O$ *है तो* $e>O$ *होगा । इस प्रतिबंध के पालन हेतु कुछ मामलों में प्रतिस्थापन के लिए दो से अधिक बार भी प्रयत्न किये जायें ।* ऐसे मामलों में, तथ्य को अभ्युक्ति खंड (खंड 9 और 10) में दर्ज किया जाना है ।

ध्यान दें कि एक उद्यम/परिवार के प्रतिस्थापन के मामले में, "**प्रतिस्थापित**" शब्द अनुसूची के पहले पृष्ठ के सबसे ऊपर लिख दिया जाना चाहिए ।

2.11.2 सूचीकरण के समय एक उद्यम का गलत वर्गीकरण :

कुछ एक मामलों में यह खूब सम्भव है कि अनुसूची 0.0 में एक विशेष प्ररुप (अर्थात् क्षेत्र × अधिष्ठान × रा.औ.व. संकेतांक, या क्षेत्र × स्व.का.उ.×रा.औ.व. संकेतांक) के अधीन सूचीबद्ध एक प्रतिदर्श उद्यम के विषय में अनुसूची 2.34 पर पूछताछ करते समय ज्ञात हो कि वह वास्तव में अन्य प्ररूप का है । अनुसूची 0.0 के लिए प्रविष्टियाँ नहीं बदली जाएंगी यदि गलत वर्गीकरण पाया जाता है । तथापि, उद्यम प्रकार के सही विवरण और रा.औ.व. संकेतांक को अनुसूची 2.34 के खंड 1 में द्वितीय चरण स्तर संख्या को बदले बगैर अनुसूची 2.34 में संबंधित मदों के सामने दर्ज किया जायेगा ।

तथापि, यदि उद्योग प्रभाग संकेतांक में परिवर्तन के कारण या ए.एस.आई./सरकार/सा.क्षे.इ.(पी.एस.यू.) में शामिल होने के कारण उद्यम सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के बाहर हो जाता है तो उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाये । इन सभी मामलों में खंड 6 की प्रविष्टियों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाये ।

2.11.3 यादृच्छिक संख्याएं : प्रत्येक अन्वेषक को यादृच्छिक संख्याओं की एक तालिका दी जाती है । केन्द्रीय प्रतिदर्श के मामले में तालिका का nवां कालम देखा जाएगा तथा राज्य प्रतिदर्श के मामले में (n+1)वां कालम देखा जाएगा, जहाँ n प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई की क्रमसंख्या के अंतिम दो अंक हैं । जब n = 00 हो तो उसे 100 माना जाएगा । प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या उस रेंज की सर्वोच्च संख्या के बराबर होगी जिसके भीतर यादृच्छिक संख्या का चयन किया जाना है । तथापि यदि 1 और 10 या 1 और 100 के बीच यादृच्छिक संख्या निकालने कि आवश्यकता हो तो केवल एक या दो अंकीय यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग किया जाय, जहाँ यादृच्छिक संख्या "0", "10" के लिए और यादृच्छिक संख्या "00", 100 के लिए आयेंगी ।

खे.स./उ.खं. चयन के लिए, जब भी आवश्यकता पड़े, प्रथम यादृच्छिक संख्या प्रयोग की जाएगी । बाद वाली यादृच्छिक संख्यायें परिवारों/उद्यमों के निम्नक्रमानुसार चयन के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी : (i) अंश 1 के लिए - अनुसूची 1.0 के द्वि.च.स्त. के लिए परिवार, अनुसूची 2.34 के लिए उद्यम और उसके बाद (ii) अंश-2 के लिए - अनुसूची 1.0 के द्वि.च.स्त. के लिए परिवार, अनुसूची 2.34 के लिए उद्यम । यादृच्छिक संख्याओं का यह विशेष कालम यदि समाप्त हो जाये तो अगले कालम का उपयोग किया जाये । इसी प्रकार, यदि यादृच्छिक संख्या सारणी के सभी कालम समाप्त हो जायें, तो पहले कालम का उपयोग किया जायेगा ।

2.12 प्रतिदर्श प्र.च.इ. का प्रतिस्थापन:

(क) यदि कोई प्रतिदर्श प्र.च.इ. पृथक रुप से पहचाने जाने योग्य न होने या खोजे जाने योग्य न होने, सुगम्य न होने या अन्य किसी कारण से सर्वेक्षित नहीं किया जा सके तो उसका प्रतिस्थापन किया जाएगा । ऐसे सभी मामले निम्नलिखित को सूचित किए जाएंगे :-

उप महानिदेशक (टी.सी.), स.वि.प्र., राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय,
महलानोबिस भवन,
164, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता - 700 108.
ई-मेल पता : dpd_tc@yahoo.co.uk
फैक्स : 033 - 25771025

पत्र की एक प्रति इन्हें प्रेषित की जायें :

उप महानिदेशक (समन्वय), स.अ.अ.प्र., राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय,
महलानोबिस भवन,
164, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता - 700 108.
ई-मेल पता : sdrd@cal2.vsnl.net.in
फैक्स : 033 - 25776439, फोन : 033-25781495

यदि प्रतिस्थापी प्र.च.इ. में भी मूल प्र.च.इ. के समान ही समस्या हो तो इसकी सूचना तुरंत दी जाए ताकि एक दूसरा प्रतिस्थापन किया जा सके और स्तर/उप-स्तर की रिक्तता को रोका जा सके । यदि सारे प्रयत्नों के बावजूद किसी प्रतिस्थापित प्र.च.इ. का सर्वेक्षण नहीं किया जा सके (अर्थात् खण्ड 1, मद 19 में संकेतांक 7 हो), तो केवल खण्ड 0, 1, 8, 9 और 10 को भरकर अनुसूची "0.0" बिना भरे जमा की जाएगी । ऐसे मामलों में अनुसूची के पहले पृष्ठ में सबसे ऊपर **"आहत"** शब्द लिख दिया जाएगा ।

प्रत्येक उप-प्रतिदर्श के लिए, प्रत्येक स्तर/उप स्तर से हमेशा कम-से-कम एक प्र.च.इ. का सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि स्तरों की रिक्तता को रोका जा सके ।

(ख) यदि एक प्रतिदर्श प्र.च.इ. सर्वेक्षण के समय आबादी रहित पाया जाता है या वहां की आबादी कुछ प्राकृतिक विपत्तियों के कारण अन्यत्र कहीं चली गई हो, या उसे **"शून्य मामला"** माना गया हो तो उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा । ऐसे मामलों में एक रिक्त अनुसूची 0.0 केवल खंड 0, 1, 8, 9 और 10 भरकर प्रस्तुत की जायेगी । ऐसे मामलों में, अनुसूची के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर **'अवासित'** या **"शून्य मामला"** जो उपयुक्त हो लिख दिया जायेगा । तथापि अरुणाचल प्रदेश में तथा संभवतः उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहाँ, उदाहरणार्थ झूम कृषि प्रचलित है पूरा गाँव एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है । ऐसे मामलों में प्रतिदर्श ग्राम, उस जगह सर्वेक्षित किया जाएगा जहाँ वह वर्तमान में अवस्थित है तथा अपने मूल स्थान पर उपस्थित न होने के कारण उसे 'अवासित' नहीं माना जाएगा ।

(ग) यदि एक प्रतिदर्श ग्राम को राज्य सरकार की अधिसूचना या जनगणना प्राधिकरण द्वारा (स्वयं में एक नगर या किसी अन्य नगर में जोड़कर) नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और यदि यह प्र.च.इ(यों) के चयन के लिए उपयोग किये जाने वाले नगरीय ढांचे के अंतर्गत शामिल है तो इसे "शून्य मामला" माना जायेगा और इस मामले में पिछले अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया अपनायी जायेगी । तथापि यदि यह प्रथम चरण इकाई के नगरीय ढांचे के अंतर्गत नहीं आया है तो इसका सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार ही किया जाएगा । फिर भी ऐसे मामलों में यदि मूल ग्राम की सीमा की पहचान न हो पाए तो इसे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा । यदि ग्राम का केवल एक भाग नगर में मिल गया है तो उस स्थिति में भी बचे हुए भाग का सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा । *यह सुझाव दिया जाता है* कि किसी प्रतिदर्श को एक शून्य मामला मानने से पहले सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग को लिखा जाए ।

(घ) *यह ध्यान में रखना जरुरी है* कि सूचीकरण अनुसूची 0.0 प्रत्येक प्रतिदर्श प्र.च.इ. के लिए प्रस्तुत की जाएगी, चाहे वह सर्वेक्षित/प्रतिस्थापित (शून्य मामला और अवासित सहित) या एक '**आहत**' (कैजुअल्टी) ही क्यों न हो ।

2.13 प्र.च.इ.(यों) की पुनरावृत्ति : यदि किसी प्रतिदर्श प्र.च.इ. की प्रतिदर्श सूची में पुनरावृत्ति हुई हो तो *जितनी बार उसका चयन हुआ है उतनी बार उसका सर्वेक्षण किया जाएगा* । सम्बंधित मामलों में निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनायी जाएंगी :-

2.13.1 राज्य या केन्द्रीय प्रतिदर्श प्र.च.इ.(यों) में पुनरावृत्ति :

मामला (क) : बगैर खेड़ा-समूह/उप-खण्ड गठन वाले : यदि पुनरावृत्ति उसी उप-दौर में हो तो सूचीकरण केवल एक बार किया जाएगा । सूचीकरण अनुसूची, पहचान विवरण को जिस क्रम संख्या पर उसकी पुनरावृत्ति पायी जाए उसके पहचान विवरण में परिवर्तित करके, नकल की जाएगी । (जो मदें परिवर्तित हो सकती हैं वे केवल निम्न हैं :- क्रम संख्या और उप-प्रतिदर्श) । प्रतिदर्श परिवार/उद्यम नये सिरे से चुने जाएंगे । तथापि यदि कोई प्रतिदर्श परिवार/उद्यम जो पहले ही चुना जा चुका है, पुनः चुना जाता है तो उसका प्रतिस्थापना किया जाए । यदि नये परिवार/उद्यम (अर्थात् पहले दौर में नहीं चुने गए) की आवश्यक संख्या ढांचे में उपलब्ध न हो जिसके कारण कुछ परिवार/उद्यम दूसरे या बाद के दौरे में पुनः चयित हो जाते हैं तो ऐसे परिवारों/उद्यमों के लिए विभिन्न खंडों में प्रविष्टियां नकल करके भरी जा सकती हैं । यदि प्र.च.इ. की पुनरावृत्ति भिन्न उपदौरों में होती है तो इसका सर्वेक्षण नये सूचीकरण और प्रतिदर्श चयन सहित एक नये प्रतिदर्श की तरह किया जाना है ।

मामला (ख) : खेड़ा समूह/उप-खण्ड गठन वाले : यदि पुनरावृत्ति उसी उप-दौर में हुई है तो प्रथम अवसर के दौरान बनाए गए खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों का उपयोग परवर्ती पुनरावृत्तियों के लिए किया जाएगा । तथापि, दूसरे और परवर्ती अवसरों पर, सर्वेक्षण नये चयित खेड़ा-समूहों/उप-खंडों में किया जायेगा । यदि एक या दोनों खेड़ा समूह/उप-खंड की पुनरावृत्ति हुई है तो भिन्न खेड़ा समूह/उप-खंड पाने के लिए नयी यादृच्छिक संख्या निकाली जाय । परिवारों/उद्यमों के चयन के लिए, सामान्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी जैसाकि नयी प्र.च.इ(यों) के लिए सुझाया गया है । तथापि प्र.च.इ. की पुनरावृत्ति एक भिन्न उप दौर में होती है तो इसका सर्वेक्षण एक नये प्रतिदर्श की तरह नये सूचीकरण और प्रतिदर्श-चयन के साथ किया जायेगा ।

2.13.2 राज्य और केन्द्रीय प्रतिदर्श प्र.च.इ.यों के बीच पुनरावृत्ति : हमेशा की तरह, प्रतिदर्श प्रचइयों (एफ.एस.यू.) का सर्वेक्षण केन्द्रीय और राज्य एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से करेंगी ।

*****

[5a] गैर-कृषि उद्यमों की सूची (अंश 1/ 2)*

मकान संख्या	परिवार क्रम संख्या	उद्यम/मालिक/संचालक/ परिवार के मुखिया का नाम और पता	कार्यकलाप का विवरण	विस्तृत वर्ग संकेतांक	कॉलम 5 में 1-3 के लिए		कॉलम 6 में 1 एवं 5 और कॉलम 7 में 2 के लिए राऔव 2008 संकेतांक 2/3/4/5 अंक @	पात्रता संकेतांक	कॉलम 9 में संकेतांक 1 के लिए पात्र उद्यम क्रम संख्या	कामगारों की संख्या		उद्यम प्रकार संकेतांक	द्विचस्त संख्या (1 से 19 में से कोई)
					स्वामित्व के प्रकार संकेतांक	पंजीकरण संकेतांक				कुल	भाड़े पर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
51	1	रामकृपाल	गै;कृ;उ; नहीं										
51	2	माधव राव											
51	2	माधव राव	खुदरा सब्जी बिक्रेता	2	1	2	47	1	1	1	0	1	18
52/1	3	जदू किशोर											
52/1	3	पिण्टु	खुदरा फल बिक्रेता	2	1	2	47	1	2	1	0	1	18
52C		शुक्ला फुड सेन्टर	फास्ट फुड दुकान	3	1	2	56	1	3	3	2	2	10
54		रमेश फ्लोरिस्ट	थोक फूल बिक्रेता	2	1	2	462	1	4	5	4	2	8
56		अर्जुन कंस्ट्रक्शन	निर्माण	4									
57	4	तुला राम											
57	4	तुला राम	तिपहिया वाहनों की मरम्मत	2	1	2	45	1	5	1	0	1	18

कॉलम (14): द्विचस्त संख्या :

अधिष्ठान : कॉलम 13 में संकेतांक 2 के लिए :

द्विचस्त **1:** राऔव (10 – 12);
द्विचस्त **2:** राऔव (01632, 13 – 15);
द्विचस्त **3:** राऔव (16 – 18, 31, 32);
द्विचस्त **4:** राऔव (19 – 25, 27, 28, 33);
द्विचस्त **5:** राऔव (26, 29, 30);
द्विचस्त **6:** राऔव (461);
द्विचस्त **7:** राऔव (45);
द्विचस्त **8:** राऔव (462, 463, 464, 465, 466, 469);
द्विचस्त **9:** राऔव (47);
द्विचस्त **10:** राऔव (55, 56);
द्विचस्त **11:** राऔव (49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52, 53, 58 – 63);
द्विचस्त **12:** (64300, 64309, 6491,64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663);
द्विचस्त **13:** राऔव (68, 69, 70 – 75, 771, 772, 773, 78 – 82);
द्विचस्त **14 :** राऔव (85);
द्विचस्त **15:** राऔव (86 – 88);
द्विचस्त **16:** राऔव (37 – 39, 90 – 93, 941, 9491, 9499, 95, 96);

स्व का उ : कॉलम 13 में संकेतांक 1 के लिए :

द्विचस्त **17:** राऔव (01632, 10 – 33);
द्विचस्त **18:** राऔव (45 – 47);
द्विचस्त **19:** राऔव (37–39, 49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52–63, 64300, 64309, 6491, 64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663, 68, 69, 70–75, 771, 772, 773, 78–82, 85–93, 941, 9491, 9499, 95, 96)

5a के लिए संकेतांक

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें

कॉलम (5): **विस्तृत वर्ग संकेतांक** : विनिर्माण – 1, व्यापार – 2, अन्य सेवायें – 3, शेष – 4

कॉलम (6): **स्वामित्व के प्रकार संकेतांक** : मालिकाना/ साझेदारी – 1, सरकारी/ पीएसयू – 2, लिमिटेड कंपनियां – 3, सहकारी समिति – 4, अन्य – 5

कॉलम (7): **पंजिकरण संकेतांक :** कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 2m(i) और 2m(ii) या बिड़ी और सिगार कर्मी (रोजगार की शर्त) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत : हॉ – 1, नहीं – 2.

@ कॉलम (8): **राऔव –2008 संकेतांक :** 2 अंक 10 – 33, 37 – 39, 45, 47, 50, 52 – 63, 65, 68, 69, 70 – 75, 78 – 82, 85 – 93, 95, 96; के लिए
3 अंकों 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 662, 663, 771, 772, 773, 941; के लिए
4 अंक 4922, 4923, 6491, 6499, 6612, 6619, 9491 (व्यक्ति), 9499; के लिए
5 अंक 01632, 49211, 49219, 64300, 64309, 64920, 64929 के लिए.

['वित्तीय मध्यस्थता में प्रधान रूप से लगे हुए स्वयं सेवी दल' के लिए विशिष्ट संकेतांक 64309 और 'साहूकारों का कार्यकलाप' के लिए विशिष्ट संकेतांक 64929 का प्रयोग इस सर्वेक्षण के लिए किया जायेगा ।]

कॉलम (9): पात्रता संकेतांक: पिछले 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिन संचालित (मौसमी उद्यमों और स्व से द के लिए 15 दिन) – 1, अन्यथा – 2.

कॉलम (13): उद्यम प्रकार संकेतांक: स्व का उद्यम – 1, अधिष्ठान – 2

[5a] गैर-कृषि उद्यमों की सूची (अंश 1/ 2)*

मकान संख्या	परिवार क्रम संख्या	उद्यम/मालिक/संचालक/ परिवार के मुखिया का नाम और पता	कार्यकलाप का विवरण	विस्तृत वर्ग संकेतांक	कॉलम 5 में 1-3 के लिए		कॉलम 6 में 1 एवं 5 और कॉलम 7 में 2 के लिए राऔव 2008 संकेतांक 2/3/4/5 अंक @	पात्रता संकेतांक	कॉलम 9 में संकेतांक 1 के लिए पात्र उद्यम क्रम संख्या	कामगारों की संख्या		उद्यम प्रकार संकेतांक	द्विचस्त संख्या (1 से 19 में से कोई)
					स्वामित्व के प्रकार संकेतांक	पंजीकरण संकेतांक				कुल	भाड़े पर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
57A		सूर्या ट्रेडिंग	कमिशन एजेन्ट	2	1	2	461	1	6	2	1	2	6
58		दिव्या इंटरप्राइजेज	हस्किंग मिल	1	1	2	10	1	7	2	1	2	1
59		लोकनाथ ट्रेडिंग	फल तथा सब्जी दुकान	2	1	2	47	1	8	3	2	2	9
60	5	जुगल पाल											
60	5	सुन्दर पाल	सब्जियों की बिक्री	2	1	2	47	1	9	1	0	1	18
61	6	रामा दाम											
61	6	अतुल दाम	कमिशन एजेन्ट	2	1	2	461	1	10	1	0	1	18
62		श्याम इंटरप्राइजेज	मोटर साइकिल के पुर्जो की दुकान	2	1	2	45	1	11	2	0	1	18
63A		सुनन्दा फिश शॉप	मछली का खुदरा व्यापार	2	1	2	47	1	12	2	1	2	9
64		रोहित मोदी	जूते चप्पल की थोक बिक्री	2	1	2	464	1	13	1	0	1	18

कॉलम (14): द्विचस्त संख्या :

अधिष्ठान : कॉलम 13 में संकेतांक 2 के लिए :

द्विचस्त **1:** राऔव (10 – 12);
द्विचस्त **2:** राऔव (01632, 13 – 15);
द्विचस्त **3:** राऔव (16 – 18, 31, 32);
द्विचस्त **4:** राऔव (19 – 25, 27, 28, 33);
द्विचस्त **5:** राऔव (26, 29, 30);
द्विचस्त **6:** राऔव (461);
द्विचस्त **7:** राऔव (45);
द्विचस्त **8:** राऔव (462, 463, 464, 465, 466, 469);
द्विचस्त **9:** राऔव (47);
द्विचस्त **10:** राऔव (55, 56);
द्विचस्त **11:** राऔव (49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52, 53, 58 – 63);
द्विचस्त **12:** (64300, 64309, 6491,64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663);
द्विचस्त **13:** राऔव (68, 69, 70 – 75, 771, 772, 773, 78 – 82);
द्विचस्त **14 :** राऔव (85);
द्विचस्त **15:** राऔव (86 – 88);
द्विचस्त **16:** राऔव (37 – 39, 90 – 93, 941, 9491, 9499, 95, 96);

स्व का उ : कॉलम 13 में संकेतांक 1 के लिए :

द्विचस्त **17:** राऔव (01632, 10 – 33);
द्विचस्त **18:** राऔव (45 – 47);
द्विचस्त **19:** राऔव (37–39, 49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52–63, 64300, 64309, 6491, 64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663, 68, 69, 70–75, 771, 772, 773, 78–82, 85–93, 941, 9491, 9499, 95, 96)

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें

5a के लिए संकेतांक

कॉलम (5): **विस्तृत वर्ग संकेतांक** : विनिर्माण – 1, व्यापार – 2, अन्य सेवायें – 3, शेष – 4

कॉलम (6): **स्वामित्व के प्रकार संकेतांक** : मालिकाना/ साझेदारी – 1, सरकारी/ पीएसयू – 2, लिमिटेड कंपनियां – 3, सहकारी समिति – 4, अन्य – 5

कॉलम (7): **पंजिकरण संकेतांक :** कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 2m(i) और 2m(ii) या बिड़ी और सिगार कर्मी (रोजगार की शर्त) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत : हॉ – 1, नहीं – 2.

@ कॉलम (8): **राऔव –2008 संकेतांक :** 2 अंक 10 – 33, 37 – 39, 45, 47, 50, 52 – 63, 65, 68, 69, 70 – 75, 78 – 82, 85 – 93, 95, 96; के लिए
3 अंकों 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 662, 663, 771, 772, 773, 941; के लिए
4 अंक 4922, 4923, 6491, 6499, 6612, 6619, 9491 (व्यक्ति), 9499; के लिए
5 अंक 01632, 49211, 49219, 64300, 64309, 64920, 64929 के लिए.

['वित्तीय मध्यस्थता में प्रधान रूप से लगे हुए स्वयं सेवी दल' के लिए विशिष्ट संकेतांक 64309 और 'साहूकारों का कार्यकलाप' के लिए विशिष्ट संकेतांक 64929 का प्रयोग इस सर्वेक्षण के लिए किया जायेगा ।]

कॉलम (9): पात्रता संकेतांक: पिछले 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिन संचालित (मौसमी उद्यमों और स्व से द के लिए 15 दिन) – 1, अन्यथा – 2.

कॉलम (13): उद्यम प्रकार संकेतांक: स्व का उद्यम – 1, अधिष्ठान – 2

[5a] गैर-कृषि उद्यमों की सूची (अंश 1/ 2)*

मकान संख्या	परिवार क्रम संख्या	उद्यम/मालिक/संचालक/ परिवार के मुखिया का नाम और पता	कार्यकलाप का विवरण	विस्तृत वर्ग संकेतांक	कॉलम 5 में 1-3 के लिए		कॉलम 6 में 1 एवं 5 और कॉलम 7 में 2 के लिए राऔव 2008 संकेतांक 2/3/4/5 अंक @	पात्रता संकेतांक	कॉलम 9 में संकेतांक 1 के लिए पात्र उद्यम क्रम संख्या	कामगारों की संख्या		उद्यम प्रकार संकेतांक	द्विचस्त संख्या (1 से 19 में से कोई)
					स्वामित्व के प्रकार संकेतांक	पंजीकरण संकेतांक				कुल	भाड़े पर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
66		विम ट्रेडर्स	मोटर वाहनों की बिक्री	2	1	2	45	1	14	3	2	2	7
67	7	तरूण शुक्ला	गैर कृषि उद्यम नहीं										
67		बिन्दु राइस मिल	राइस मिल	1	1	1							
67		यश मैनुफैक्चरिंग	बर्फ का विनिर्माण	1	1	2	11	1	15	2	1	2	1
67B		बुलबुल ट्रेडिंग	बेकरी उत्पादों की बिक्री	2	1	2	47	1	16	2	1	2	9
68	8	रूपा शर्मा	गैर कृषि उद्यम नहीं										
68		शुभम	प्राइवेट ट्यूशन	3	1	2	85	1	17	1	0	1	19
69	9	माधवन											
69	9	माधवन	सब्जी बिक्रेता	2	1	2	47	1	18	1	0	1	18
70		बुक स्टोर	किताबों की बिक्री	2	1	2	47	1	19	1	0	1	18

कॉलम (14): द्विचस्त संख्या :

अधिष्ठान : कॉलम 13 में संकेतांक 2 के लिए :

द्विचस्त **1:** राऔव (10 – 12);
द्विचस्त **2:** राऔव (01632, 13 – 15);
द्विचस्त **3:** राऔव (16 – 18, 31, 32);
द्विचस्त **4:** राऔव (19 – 25, 27, 28, 33);
द्विचस्त **5:** राऔव (26, 29, 30);
द्विचस्त **6:** राऔव (461);
द्विचस्त **7:** राऔव (45);
द्विचस्त **8:** राऔव (462, 463, 464, 465, 466, 469);
द्विचस्त **9:** राऔव (47);
द्विचस्त **10:** राऔव (55, 56);
द्विचस्त **11:** राऔव (49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52, 53, 58 – 63);
द्विचस्त **12:** (64300, 64309, 6491,64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663);
द्विचस्त **13:** राऔव (68, 69, 70 – 75, 771, 772, 773, 78 – 82);
द्विचस्त **14 :** राऔव (85);
द्विचस्त **15:** राऔव (86 – 88);
द्विचस्त **16:** राऔव (37 – 39, 90 – 93, 941, 9491, 9499, 95, 96);

स्व का उ : कॉलम 13 में संकेतांक 1 के लिए :

द्विचस्त **17:** राऔव (01632, 10 – 33);
द्विचस्त **18:** राऔव (45 – 47);
द्विचस्त **19:** राऔव (37–39, 49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52–63, 64300, 64309, 6491, 64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663, 68, 69, 70–75, 771, 772, 773, 78–82, 85–93, 941, 9491, 9499, 95, 96)

5a के लिए संकेतांक

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें

कॉलम (5): **विस्तृत वर्ग संकेतांक** : विनिर्माण – 1, व्यापार – 2, अन्य सेवायें – 3, शेष – 4

कॉलम (6): **स्वामित्व संकेतांक के प्रकार** : मालिकाना/ साझेदारी – 1, सरकारी/ पीएसयू – 2, लिमिटेड कंपनियां – 3, सहकारी समिति – 4, अन्य – 5

कॉलम (7): **पंजिकरण संकेतांक :** कारखाना अधिनियम, 1048 के अनुच्छेद 2m(i) और 2m(ii) या बिड़ी और सिगार कर्मी (रोजगार की शर्त) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत : हाँ – 1, नहीं – 2.

@ कॉलम (8): **राऔव –2008 संकेतांक :** 2 अंकों के लिए 10 – 33, 37 – 39, 45, 47, 50, 52 – 63, 65, 68, 69, 70 – 75, 78 – 82, 85 – 93, 95, 96;
3 अंकों के लिए 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 662, 663, 771, 772, 773, 941;
4 अंकों के लिए 4922, 4923, 6491, 6499, 6612, 6619, 9491 (व्यक्ति), 9499;
5 अंकों के लिए 01632, 49211, 49219, 64300, 64309, 64920, 64929.

['वित्तीय मध्यस्थता में प्रधान रूप से लगे हुए स्वयं सेवी समूह' के लिए विशिष्ट संकेतांक 64309 और 'साहूकारों का कार्यकलाप' के लिए विशिष्ट संकेतांक 64929 का प्रयोग इस सर्वेक्षण के लिए किया जायेगा ।]

कॉलम (9): पात्रता संकेतांक: पिछले 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिनों के संचालित (मौसमी उद्यमों और स्व से स के लिए 15 दिन) – 1, अन्यथा – 2.

कॉलम (13): उद्यम प्रकार संकेतांक: स्व का उ – 1, अधिष्ठान – 2

[5b] व्याप्ति के अंतर्गत गैर-कृषि उद्यमों का चयन (अंश 1/ 2)*

मकान संख्या	पात्र गैर-कृषि उद्यम क्रम संख्या (खंड 5a, कॉलम 10 से नकल किया गया है)	द्विचस्त संख्या (खंड 5a, कॉलम 14 से नकल किया गया है)	अनुसूची 2.34																		
			प्रतिचयन क्रम संख्या और (प्रतिदर्श उद्यम संख्या)																		
			अधिष्ठान																स्व-कार्यरत उद्यम		
			विनिर्माण					व्यापार				अन्य सेवायें							विनिर्माण	व्यापार	अन्य सेवायें
			द्विचस्त					द्विचस्त				द्विचस्त									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	द्विचस्त 17	द्विचस्त 18	द्विचस्त 19
			E=2 e=2	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E=1 e=1	E=1 e=1	E=1 e=1	E=3 e=3	E=1 e=1	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E=9 e=6	E=1 e=1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
51	1	18																		(√1) 5	
52/1	2	18																		√2	
52C	3	10										(√1) 1									
54	4	8								(√1) 1											
57	5	18																		(√3) 1	
57A	6	6						(√1) 1													
58	7	1	(√1) 1																		
59	8	9									(√1) 1										
60	9	18																		(√4) 2	
61	10	18																		√5	

[5b] व्याप्ति के अंतर्गत गैर-कृषि उद्यमों का चयन (अंश 1/ 2)*

मकान संख्या	पात्र गैर-कृषि उद्यम क्रम संख्या (खंड 5a, कॉलम 10 से नकल किया गया है)	द्विचस्त संख्या (खंड 5a, कॉलम 14 से नकल किया गया है)	अनुसूची 2.34																		
			प्रतिचयन क्रम संख्या और (प्रतिदर्श उद्यम संख्या)																		
			अधिष्ठान																स्व-कार्यरत उद्यम		
			विनिर्माण					व्यापार				अन्य सेवायें							विनिर्माण	व्यापार	अन्य सेवायें
			द्विचस्त					द्विचस्त				द्विचस्त									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	द्विचस्त 17	द्विचस्त 18	द्विचस्त 19
			E=2 e=2	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E=1 e=1	E=1 e=1	E=1 e=1	E=3 e=3	E=1 e=1	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E= e=	E=9 e=6	E=1 e=1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
62	11	18																		(√6) 4	
63A	12	9									(√2) 2										
64	13	18																		(√7) 6	
66	14	7							(√1) 1												
67	15	1	(√2) 2																		
67B	16	9									(√3) 3										
68	17	19																			(√1) 1
69	18	18																		√8	
70	19	18																		(√9) 3	